बजट 2020-2021

वित्त मंत्री

निर्मला सीतारामन

का

भाषण

1 फरवरी, 2020

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं, वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

प्रस्तावना

मई 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा सरकार बनाने के लिए बड़ा जनादेश प्राप्त किया। उनके नेतृत्व में, नए जोश के साथ हम विनम्रता और समर्पण की भावना से भारत की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. निःसंदेह भारत की जनता ने न केवल राजनैतिक स्थिरता के लिए अपना जनादेश दिया अपितु हमारी आर्थिक नीति पर भी भरोसा किया। यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है। केवल उच्च वृद्धि से ही हम उसे हासिल कर सकते हैं और हमारे युवाओं को लाभप्रद एवं सार्थक रोजगार दे सकते हैं। हम अपना व्यवसाय नवोन्मेषी, स्वस्थ और सम्पन्न बनाएं और यह प्रौद्योगिकी के उपयोग से सही अर्थ में "जीवन सहज" बनाने के लिए हो।

3. शताब्दी के बदलाव के माहौल में जन्मे हुए, आज के युवकों के लिए, बेहतर जीवन की खोज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक सदस्य के लिए, प्रत्येक महिला जो अपने पांवों पर खड़ा होना चाहती है और समाज में अपनी पहचान चाहती है, समाज के असुरक्षित क्षेत्रों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए-इस बजट का लक्ष्य आपकी महत्वाकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करना है।

4. हम, नई प्रौद्योगिकी के मन्द हवा के झोंकों से मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था का परिदृश्य खोलना चाहते हैं। यह मजबूत भारत एक संरक्षण समाज बने और अपने नागरिकों के बीच कमजोर, वृद्ध एवं असुरक्षित जन की देखभाल करेगा।

5. वर्ष 2014-19 के दौरान, हमारी सरकार ने अभिशासन में मूल-चूल परिवर्तन किया है। दो फोकस इस परिवर्तन की विशेषता हैः बुनियादी ढांचे में सुधार और समावेशी विकास।

6. अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं और इनसे वृहत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है। मुद्रास्फीति सुनियंत्रित हो गई है। बैंकों को विगत दशक के संचयित ऋणों से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है और उनका पुनः पूंजीकरण किया गया। कंपनियों को आईबीसी के जरिए उबरने के लिए सम्मानजनक रास्ता मुहैया कराया गया। अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए।

7. संरचनात्मक सुधारों में, माल और सेवा कर हमारे देश में ऐतिहासिक रहा है। इसका मुख्य वास्तुकार आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं दूरदर्शी नेता स्वर्गीय श्री अरूण जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। जीएसटी लागू करते समय उन्होंने कहा था उसे मैं दुहराती हूंः "यह भारत ही होगा जहां केन्द्र और राज्य साझी सम्पन्नता के सामान्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए सद्भावनापूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। संवैधानिक संशोधन की मतैक्य और जीएसटी परिषद की सर्वसम्मति यह उजागर करती है कि राष्ट्र के हित के लिए भारत संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठ सकता है। जीएसटी से न तो राज्य और न ही केन्द्र अपनी सम्प्रभुता खोता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष करों के संबंध में निर्णय लेने पर अपनी सम्प्रभुता को पूल करेंगे।"

8. ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार के लिए इस दूरदर्शिता को सही साबित करते हुए माल और सेवा कर धीरे-धीरे कर का रूप ले रहा है जिसने देश को आर्थिक रूप से एकीकृत किया है। इसने अनेक करों और उपकरों को एक कर में मिला दिया है और अर्थव्यवस्था के औपचरिकरण को सुविधाजनक बनाया है। इसके परिणामस्वरूप संभार तंत्र और परिवहन सेक्टरों में दक्षता आई है। जीएसटी में चेक पोस्टों को हटाने के कारण ट्रकों के टर्न अरांउड समय में 20% तक गिरावट आई है। भयावह इंस्पेक्टर राज का भी अंत हो गया है।

9. बढ़ी हुई आरंभिक अवस्था और संरचना सीमितताओं के परिणामस्वरूप एमएसएमई को काफी लाभ हुआ है। लगभग प्रत्येक वस्तु पर प्रभावी कर मामलों में काफी कमी आई है। अनेक दर कटौती के जरिए ₹1 लाख करोड़ का वार्षिक लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है। इससे समग्र कर मामलों में 10% की कमी आई है। कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार अब अपने मासिक खर्च में लगभग 4% की बचत करता है।

10. परिपक्व होने के इस चरण में जीएसटी को कतिपय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह स्वाभाविक था क्योंकि परिवर्तन हतोत्साहित हो रहा था। इस परिवर्तन के दौरान जीएसटी परिषद समस्याओं का समाधान सक्रिय रूप से कर रही थी। पिछले दो वर्षों में हमने 60 लाख से अधिक नए करदाताओं को जोड़ा है, कुल लगभग 40 करोड़ विवरणियां फाइल की गई; 800 करोड़ इनवाइसेज अपलोड किए गए और 105 करोड़ ई-वे बिल दिए गए। हितधारकों के साथ व्यापक रूप से मिलकर काम किया गया। 1 अप्रैल, 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जा रही है। नई प्रणाली के संबंध में हाल ही में आयोजित राष्ट्रव्यापी आपसी बात-चीत को अत्यधिक प्रतिक्रिया मिली थी।

11. पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार चिंता व्यक्त की थी कि कल्याणकारी स्कीमों का लाभ जरूरतमंद नागरिकों तक नहीं पहुंच रहा था-आम और जरूरतमंद नागरिक को भेजा गया प्रत्येक रुपये का केवल 15 पैसे ही उसे मिलता था। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" द्वारा मार्गदर्शित होकर हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी गति कई गुना बढ़ाई और ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को ऊंचाइयों पर ले गए जो निर्धनों और वंचितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मैं उदाहरण के लिए केवल कुछ स्कीमों की सूची देना चाहती हूं: (क) कल्याणकारी स्कीमें, जिनमें डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) शामिल है; (ख) स्वच्छता और जल के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं के उपायों और निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान में (ग) आयुष्मान भारत के जरिए स्वास्थ्य देखभाल (घ) उज्वला और सौर विद्युत के जरिए स्वच्छ ऊर्जा; (ङ) असुरक्षित वर्गों को वित्तीय समावेशन क्रेडिट सहायता, बीमा सुरक्षा और पेंशन स्कीम (च) ब्राडबैंड और यूपीआई से डिजीटल प्रवेश; (छ) पीएमएवाई के माध्यम से सस्ता आवास। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं, वैश्विक रूप से इनकी सराहना की गई है और ये अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के लिए बेंचमार्क हैं।

12. पूर्व से चली आ रही ऐसी व्यवस्था में बदलाव आया जिसमें कुछ व्यक्तियों को अधिकांश लाभों से वंचित रखा जा रहा था और इसकी जनता द्वारा बड़ी सराहना की गई है। इसके बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम हुए। हम 1950 के दशक में 4% से थोड़ा ही ऊपर से 1980 और 1990 के दशकों में 6% की वृद्धि दर से आगे बढ़े हैं। फिर भी 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4% हो गई और औसत मुद्रास्फीति 4.5% पर कम थी। यह ध्यान देने लायक है कि पिछली सहस्त्राब्दी के विगत दो दशकों में मुद्रास्फीति 9% के आस-पास थी और 2009-14 के दौरान यह 10.5% के दायरे में थी।

13. अब हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2009-14 के दौरान आए 190 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2014-19 के दौरान 284 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। जीएसटी ने प्रणाली में बहुत सी बाधाओं को दूर किया और एक बार जब समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, तब यह अधिक आधुनिक, प्रगामी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कराधान प्रणाली होगी। केन्द्रीय सरकार का ऋण जो हमारी अर्थव्यवस्था के अनिष्ट का कारण रहा है, मार्च 2014 में 52.2% के स्तर से घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7% पर आ गया। 2006-16 के बीच भारत 271 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में समर्थ था, जिसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए।

14. इस पृष्ठभूमि से हमारी सरकार देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी ताकि हम स्वास्थ्य, सम्पन्नता और खुशहाली के अगले स्तर पर मेढककूद कर सकें। हम प्रत्येक नागरिक के लिए सहज जीवन हेतु प्रयास करेंगे।

15. मैं, इस बजट को दो अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूँ:

क) प्रौद्योगिकियों का प्रचुर प्रसरण, विशेषकर विश्लेषणात्मक, मशीन रोबोटिक्स, बायो-इंफोरमेटिक्स और आर्टीफिशल इन्टेलीजेंस

ख) भारत में 15-65 वर्ष, उत्पादक आयु वर्ग में इसकी जनता की संख्या अर्थात अपने आप में सबसे अधिक है।

16. यह संयोजन समकालीन भारत के लिए विशेष है। विश्व भर में यदि वैश्वीकरण में कमी आ रही है, उसी तरह मौद्रिक नीति की प्रभावोत्पादकता पर भी वाद-विवाद हो रहा है। पिछले, पांच वर्षों में हमने जो प्रयास किए और हमारे युवकों की ऊर्जा, उत्साह और नवोन्मेष ऐसी चिंगारी है जिन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय उद्यमशीलता की भावना जिसने शताब्दियों से अनेक अवरोधों का सामना किया हमें प्रोत्साहन और प्रेरणा देते है। हम इस भावना को समर्थन देने और इसे अधिक बढ़ाने की आवश्यकता को जानते हैं।

17. यह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द बना हैः-

एकः महत्वाकांक्षी भारत जिसमें समाज के सभी वर्ग स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर नौकरी की सुलभता से बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं।

दोः सबके लिए आर्थिक विकास जिसे प्रधानमंत्री के प्रबोधन "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" में दर्शाया गया है। इससे अर्थव्यवस्था के कई कतरों में सुधार लाने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इसमें निजी क्षेत्र के लिए अधिक गुंजायश होगी। दोनों मिलकर अधिक उत्पादकता और बेहतर क्षमता सुनिश्चित करेंगे।

और

तीनः हमारा संरक्षण समाज होगा जो मानवीय और दयाभावना से भरा होगा। अन्त्योदय विश्वास का प्रतीक है।

18. भारत में डिजीटल क्रांति विश्व में एक अनूठे नेतृत्व के रूप में स्थापित हुई है हमारा लक्ष्य है।

- **डिजीटल गर्वनेस** के जरिए सेवाओं की आसान डीलीवरी
- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन** के जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना
- आपदा समुत्थान शक्ति के जरिए जोखिम न्यूनीकरण
- पेंशन और बीमा प्रवेश के जरिए सामाजिक सुरक्षा

इनमें से प्रत्येक पहल और उनके घटक अंतरराष्ट्रीय मानक के लिए बेंचमार्क होंगे और सूचकांकों की घोषणा जल्द की जाएगी।

19. मेरे परिचायक वक्तव्य का सारांश यह है अध्यक्ष महोदय, कि यह बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने के लिए समर्पित है। जैसाकि कुछ देर पहले कहा गया है, तीन विस्तृत विषयों के अंतर्गत ब्यौरा-महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और संरक्षण भारत फूलों के गुच्छा का फूल है, जो जीवन आसान बनाना रूपी फूल हैं। इस फूल के गुच्छे को पकड़ने के लिए दो हाथ हैं- एक, भ्रष्टाचार मुक्त, नीति से संचालित अच्छा अभिशासन और दो, स्वच्छ और मजबूत वित्तीय सेक्टर।

20. पहले वर्णित तीन थीमें विषय मेरे बाद की प्रस्तुती के आधार हैं। वे उस फूल गुच्छा के फूल हैं जिसमें "जीवन आसान बनाने" की समग्र धारणा अंतनिर्हित है और अभिशासन का स्तर उठाने की आवश्यकता जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कहा गया है। वित्त साधन और बाद में भाग ख में करों के संबंध में अध्याय बजट के आवश्यक नए आधार है, जो आगामी वर्ष और उसके बाद के लिए मार्गदर्शन देता है।

इसके पहले कि मैं तीन विषयों पर विस्तृत चर्चा करूं मैं कश्मीरी में एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँः-

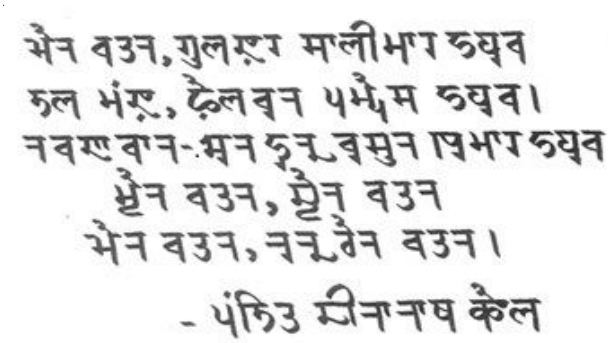

Saun Watan Gulzar Shalamaar Hyur
Dal Manz Pholvun Pamposh Hyuv
Navjavan-an-hund, Vushun Khumaar Hyuv
Myon Watan, Chyon Watan
Saun Watan, Nundbony Watan

(प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, सभी करते हैं, वह इस सुन्दर देश के लिए है।)

यह कविता पंडित दीनानाथ कौल द्वारा लिखी गई है।

महत्त्वाकांक्षी भारत

21. मैं (1) कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास (2) वेलनेस, जल और स्वच्छता तथा (3) शिक्षा और कौशल से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं पर बात करूंगी।

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

22. हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले पांच वर्षों में जिन किसानों ने ई-नाम पर अपना पंजीकरण किया है, ऐसे 1.65 करोड़ किसानों को बाजार कनेक्टिविटी का लाभ मिला है। हमने **कुसुम** के माध्यम से ऊर्जा प्रभुसत्ता और परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए इनपुट प्रभुसत्ता मुहैया कराई है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले 6.11 करोड़ किसानों के जीवन में उजाला किया है। कृषि सिंचाई योजना के जरिए दालों की फसल और सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार पर फोकस करके देश की आत्म-निर्भरता में इजाफा किया है। किसानों को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त आय मुहैया कराने के प्रावधान को सीधे प्रधानमंत्री-किसान योजना के जरिए पूरा किया जाता है।

22(1). कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिए कृषि बाजारों को उदार किए जाने की जरूरत है। कृषि और पशुधन बाजारों में पैदा हुई गड़बड़ियों को हटाए जाने की आवश्यकता है। कृषि के उत्पाद, औजार और कृषि संबंधी सेवाओं की खरीद के लिए प्रचुर निवेश की जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में समर्थन और पशुपालन, मधुमक्खी पालन तथा मछली पालन जैसी कृषि आधारित गतिविधियों के लिए सहायता दिए जाने

की आवश्यकता है। किसान भंडारण, वित्तपोषण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को शामिल करते हुए एक समग्र समाधान चाहते हैं।

23. फसल उगाने के सुस्थिर पैटर्न को अपनाना और प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल करना हमारी योजना का अभिन्न हिस्सा है। यह सब और इससे अधिक को राज्यों के साथ कार्य करने और उनके सहयोग के माध्यम हासिल किया जा सकता है।

निम्नलिखित 16 कार्य बिंदु हमारे फोकस को दर्शाते हैं :

23(1). हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करते हैं :

(क) मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016

(ख) मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 और

(ग) मॉडल कृषि उत्पाद तथा पशुधन संविदा कृषि और सेवाएं (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018

23(2). पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय हैं। हमारी सरकार पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव कर रही है।

23(3). जुलाई, 2019 में प्रस्तुत अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि "अन्नदाता" "ऊर्जादाता" भी हो सकता है। पीएम-कुसुम स्कीम से डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता समाप्त हुई है और उन्होंने अपने पम्प सेट सौर ऊर्जा से जोड़े हैं। अब, मैं स्टैण्ड अलोन और पम्प स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों को यह सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव करती हूं; इसके अलावा, हम अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पम्प सेट को सौर ऊर्जा आधारित बनाने के लिए भी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, किसानों को उनकी खाली पड़ी/बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा निर्माण क्षमता स्थापित करने और उसे ग्रिड को बेचने में समर्थ बनाने की स्कीम आरंभ की जाएगी।

23(4). हमारी सरकार पारंपरिक जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देगी। मौजूदा प्रोत्साहन प्रणाली जो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, में परिवर्तन के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

23(5). भारत के पास कृषि भंडारण, शीत गृह, माल ढुलाई वैन की सुविधाओं की 162 मिलियन मीट्रिक टन की अनुमानित क्षमता है। नाबार्ड इन्हें मापने और जिओ टैग करने की कवायद करेगी। इसके अलावा, हम मालगोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के मापदंडों की तर्ज पर मालगोदाम बनाने का प्रस्ताव करते हैं। हमारी सरकार ब्लॉक/तालुक स्तर पर ऐसे कार्यक्षम मालगोदाम स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मुहैया कराएंगे। इसे हासिल किया जा सकता है, जहां राज्य भूमि की सुविधा दे सकते हैं और यह पीपीपी मॉडल पर हो। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्लूयसी) अपनी भूमि पर भी ऐसे भांडारण बनाएंगे।

23(6). बैकवर्ड लिंकेज के रूप में, ग्राम भंडार स्कीम स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे किसानों को एक अच्छी धारिता क्षमता मुहैया होगी और उनकी

लाजिस्टिक लागत कम हो जाएगी। महिला, एसएचजीएस अपनी धन लक्ष्मी की ओहदे को पुनः प्राप्त करेगी।

23(7). दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारतीय रेल पीपीपी मॉडल के जरिए "किसान रेल" चलाएगी/ एक्सप्रेस तथा मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटरकृत कोच होंगे।

23(8). नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। इससे विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा जनजातीय जिलों में मूल्य प्राप्ति में सुधार करने में अत्यधिक मदद मिलेगी।

23(9). बागबानी क्षेत्र ने 311 मिलियन मीट्रिक टन के अपने वर्तमान उत्पाद के चलते खाद्यान्नों के उत्पाद को पीछे छोड़ दिया है। बेहतर विपणन और निर्यात के लिए, हम उन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं जो क्लस्टर आधार अपनाते हुए "एक उत्पाद एक जिला" पर फोकस करेंगे।

23(10). वर्षासिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। गैर-फसल सीजन में बहुस्तरीय पैदावार, मधुमक्खी पालन, सौर पम्प, सौर ऊर्जा निर्माण को शामिल किया जाएगा। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि (जिसका जुलाई 2019 के बजट में उल्लेख किया गया था) को भी शामिल किया जाएगा। "जैविक खेती" पर पोर्टल-ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन बाजार को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

23(11). निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट (ई-एनडब्ल्यूआर) पर किया जाने वाला वित्तपोषण 6000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसे ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा।

23(12). गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) कृषि ऋण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। नाबार्ड की पुनःवित्तपोषण स्कीम का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए कृषिगत ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री-किसान के सभी पात्र लाभार्थियों को केसीसी स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

23(13). हमारी सरकार वर्ष 2025 तक मवेशियों के खुर और मुंह में होनेवाली बीमारी ब्रूसिलोसिस तथा भेड़ और बकरियों को लेने वाले पेस्टे पेटिस रुमिनेंट(पीपीआर) नामक बीमारी को खत्म करने की मंशा रखती है। कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा । मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, हम 2025 तक दूघ प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दुगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन करेंगे।

23(14). नीली अर्थव्यवस्था : हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है। इससे विकास होगा और प्रभावी संरक्षण भी होगा। समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा, सुस्थिरता और उत्तरदायी समुद्र मत्स्य पर फोकस किया जाएगा।

23(15). तटीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन के जरिए लाभ मिलता है। वर्ष 2022-23 तक, मैं मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन कराने का प्रस्ताव करती हूं। शैवाल, समुद्री खरपतवार उगाने तथा केज कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

हमारी सरकार युवाओं 3477 सागर मित्रों तथा 500 मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों के माध्यम से फिशरी एक्सटेंशन को शामिल करेगी। हम आशा करते हैं कि 2024-25 तक मछली का निर्यात बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा।

23(16). गरीबी उपशमन को दीन दयाल अन्त्योदय योजना में, 50 लाख परिवारों को 58 लाख स्वसहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा जाता है। हम एसएचजी का विस्तार करेंगे।

24. अब, ऊपर उल्लिखित 16 विभिन्न कदमों के लिए निधि के आवंटन हेतु इनका दो भिन्न श्रेणियों के तहत विवरण दिया जा रहा हैः

कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों; सिंचाई और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इसे अन्य बातों के साथ-साथ इसे विभाजित किया है।

(क) कृषि, सिंचाई और संबंद्ध गतिविधियों के लिए - 1.60 लाख करोड़ रुपये

(ख) ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए - 1.23 लाख करोड़ रुपये

अरोग्यता, जल और स्वच्छता

महत्वांकाक्षी भारत के अंतर्गत अब हम वेलनेस, जल और स्वच्छता के बारे में बात करेंगे।

25. हमारा स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में एक सर्वागीण दृष्टिकोण है जो सभी नागरिकों की तंदुरुस्ती में परिवर्तित होता है। टिटनेस, प्रौढ़ डिप्थेरिया, पोलियो, मिजल्स-रुबेला तथा रोजावायरस की रोकथाम के लिए 5 नई वैक्सिनों सहित 12 बीमारियों को कवल करने के लिए इंद्रधनुष मिशन का विस्ताव किया गया है। **फिट इंडिया अभियान** जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली गैर-संचारी बीमारियों का मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वास्थ्य विजन के समर्थन में एक अत्यंत केंद्रित सुरक्षित जल (जल जीवन मिशन) और व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम (स्वच्छ भारत मिशन) की शुरुआत की गई है। इससे गरीबों पर बीमारियों का बोझ कम होगा।

26. इस समय, पीएमजेएवाई के अंतर्गत 20,000 से अधिक पैनलबद्ध अस्पताल हैं, फिर भी हमें इस स्कीम के अंतर्गत टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में गरीबों के लिए अधिक अस्पतालों की आवश्यकता है।

26(1). पीपीपी मॉडल के तहत अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण विंडो स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है। प्रथम चरण में, उन आकांक्षी जिलों को शामिल किया जाएगा जहां इस समय आयुष्मान से पैनलबद्ध अस्पताल नहीं हैं। मेडिकल उपकरणों पर करों से प्राप्त राशियों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना की सहायता में प्रयुक्त किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

26(2). मशीन लर्निंग और आर्टिफियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए आयुष्मान भारत स्कीम में, स्वास्थ्य प्राधिकारी और चिकित्सक समाज उचित डिजाइनकृत निवारक प्रणाली से बीमारियों को लक्षित कर सकते हैं।

27. "टी.बी. हारेगा देश जीतेगा" अभियान शुरु किया गया है। मैं 2025 तक टी.बी. समाप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता की पूर्ति के प्रयासों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करती हैं।

28. मैं 2024 तक सभी जिलों में 1000 केंद्र स्थापित करते हुए 2000 औषधियों तथा 300 सर्जिकल को पेशकश करते हुए जन औषधि केंद्र स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं।

मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के लिए 6400 करोड़ रुपये हैं।

29. हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के प्रति वचनबद्ध है। इस स्कीम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन हुआ है। ओडीएफ व्यवहार बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे छूट न जाए। अब तरल और घूसर जल प्रबंधन की दिशा में कार्य किए जाने की और अधिक जरूरत है। कचरा इकट्ठा करने, इकट्ठा करने की जगह पर ही कचरे को अलग-अलग करने और उसको संसाधित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुल लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

30. सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति करने के लक्ष्य से, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से **जल जीवन मिशन** की घोषणा की थी। हमारी सरकार ने इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन किया है। यह मिशन स्थानीय जल स्रोतों, मौजूदा स्रोतों को पुनःपोषित पर भी बल देता है और जल संचयन तथा विलवणीकरण को बढ़ावा देगा। वे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, उन्हें चालू वर्ष में ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान इस स्कीम को 11,500 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

शिक्षा और कौशल

महत्त्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत शिक्षा और कौशल तीसरी और अंतिम मद है ।

31. 2030 तक, भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी। उनके लिए न सिर्फ साक्षरता आवश्यक है बल्कि उनको रोजगार व जीवन कौशल की भी जरूरत है। इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्रियों, संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ शिक्षा नीति पर चर्चाएं की गई हैं। 2 लाख से अधिक सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी।

32. यह महसूस किया गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रतिभाशाली शिक्षकों, अभिनव परिवर्तन, बेहतर प्रयोगशालाओं की और अधिक आवश्यकता है और इसके लिए जाहिर है अधिक पैसों की आवश्यकता है। विदेशी वाणिज्यिक ऋणों, कार्मिक और यहां तक कि एफडीआई सोर्सिंग को समर्थकारी बनाने के कदम उठाए जाएंगे ताकि अधिक गुणता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

33. सामान्य स्ट्रीम (सेवाओं या प्रौद्योगिकी स्ट्रीम की तुलना में) के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि उनकी नियोजनीयता में सुधार आए। मार्च 2021 तक लगभग 150 उच्चतर शैक्षणिक संस्थान शिक्षुता संबद्ध डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ कर देंगे।

34. सरकार प्रस्ताव करती है कि एक ऐसा कार्यक्रम आरंभ किया जाए जिसके द्वारा देशभर के शहरी स्थानीय निकाय एक वर्ष की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को प्रशिक्षु अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

35. समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों तथा साथ ही जिनके पास उच्चतर शिक्षा की पहुंच नहीं है, उनको गुणता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, डिग्री स्तर का संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह शिक्षा कार्यक्रम केवल उन्हीं संस्थानों में उपलब्ध होगा जो राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग रुपरेखा में शीर्ष 100 में आते हैं। शुरुआत में, ऐसे कुछ ही संस्थानों से इन कार्यक्रमों की पेशकश की जाएगी।

36. भारत उच्चतर शिक्षा के लिए पसंदीदा गन्तव्य होना चाहिए। इसलिए, अपने "स्टडी इन इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत, एशियाई और अफ्रीकी देशों में इन्ड-सैट आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका उपयोग उन विदेशी अभ्यर्थियों की बेंचमार्किंग के लिए किया जाएगा। जिन्हें भारतीय उच्चतर शिक्षा केन्द्रों अध्ययनरत रहने के लिए छात्रवृत्तियां मिलती हैं।

37. पुलिस विज्ञान, न्यायिक विज्ञान और साईबर-न्यायिक विज्ञान आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किया जा रहा है।

38. योग्य चिकित्सीय डॉक्टरों का अभाव है, चाहे वे सामान्य चिकित्सक हों या फिर विशेषज्ञ। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए;

38(1). यह प्रस्ताव किया जाता है कि पीपीपी मोड में विद्यमान जिला हस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज को जोड़ दिया जाए। वे राज्य जो अपने हस्पतालों की सुविधाएं मंडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराते हैं और जिनकी रियायत देकर भूमि उपलब्ध कराने की मंशा है, वे केन्द्र सरकार से पूंजी लागत के 20 प्रतिशत तक की व्यवहार्यता अंतर निधियन प्राप्त कर सकते हैं।

38(2). राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताएं; डिप्लोमा और राष्ट्रीय बोर्ड (डीएनबी/एफएनबी) की अध्येता प्रदान करता है। अंतः सरकार पर्याप्त क्षमता वाले बड़े हस्पतालों को अपने यहां आवासीय डीएनबी/एफएनबी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अंतर्गत प्रोत्साहित करेगी।

39. विदेश में शिक्षकों नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों और देखभाल करने वालों की अत्यधिक मांग है। हालांकि, कई बार उनका कौशल नियोजक के मानकों पर खरा नहीं उतरता है और इसलिए उनके कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्वास्थ्य, मानव संसाधन, कौशल विकास मंत्रालय व्यावसायिक निकायों के साथ मिलकर विशेष ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करें और उनको मानकों के अनुरूप दक्ष बनाएं। विभिन्न देशों की भाषायी अपेक्षाओं का भी ख्याल रखे जाने की जरूरत है। यह सब विशेष प्रशिक्षण पैकेजों के माध्यम से हासिल किया जाना होगा।

हमारी सरकार 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।

आर्थिक विकास

उद्योग, वाणिज्य और निवेश

सरस्वती-सिंधु सभ्यता के शिल्प और हड़प्पा की मुहरें विलक्षण हैं। वे 3300 वर्ष ईसा-पूर्व की हैं। सिंधु पांडुलिपि-चित्रलिपियों का गूढ़ अर्थ स्पष्ट कर लिया गया है। वाणिज्य और व्यापार संबंधों शब्दों से पता चलता है कि कैसे भारत सहस्राब्दि से कौशल, धातु-कर्म, व्यापार आदि में लगातार समृद्ध रहा है। "तकारा कोलिमी = थोक व्यापारी,"पोद्दार" = धातु को कोष में बदलने का पारखी ।

40. उद्यमशीलता हमेशा से भारत की शक्ति रही है। आज भी, युवक और युवतियों ने कहीं भी क्यों न हों, अपनी अच्छी स्थिति को त्यागकर भारत की वृद्धि में अपना योगदान किया है। उनमें जोखिम उठाने की क्षमता है और वे चुनौतियों से निपटने के लिए आमूलचूल समाधानों के साथ आते हैं। इसी प्रकार, भली-भांति स्थापित पुराने उद्योग बदलती वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों में स्वयं को पुनः तैयार कर रहे हैं।

उनके ज्ञान, कौशल और जोखिम उठाने की क्षमताओं का संज्ञान लेते हुए, हम चाहते हैं कि उनके लिए और अधिक अवसर सृजित किए जाएं और अड़चनों को हटाया जाए। मैं निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं जो निवेश-पूर्व सलाह, भूमि बैंकों से संबंधित सूचना सहित "एंड टू एंड" सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएगा और केन्द्र व राज्य स्तर पर निपटान को सुसाध्य बनाएगा। यह पोर्टल के माध्यम से कार्य करेगा।

41. यह तीन अलग-अलग विकासशील आर्थिक गतिविधियों के अधिकतम लाभ का मामला हैः (1) आगामी आर्थिक गलियारे; (2) विनिर्माणकारी गतिविधियों का पुनर्नवीकरण और (3) प्रौद्योगिकी और महत्त्वाकांक्षी वर्गों की मांगें। इन तीनों को एक बिंदु पर लाकर हमें लाभ प्राप्त करना होगा। इसलिए, राज्यों के साथ सहयोग से पीपीपी मोड में **पांच नए स्मार्ट शहरों** को विकसित करने का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसे ही शहरों को चुना जाएगा जो ऊपर बताए सिद्धान्तों के लिहाज से सर्वोत्कृष्ट विकल्प हों।

42. भारत को नेटवर्क वाले उत्पादों का विनिर्माण करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगा। इसके फलस्वरूप, अधिक निवेश प्राप्त होगा और हमारे युवाओं के लिए अधिक रोजगार सृजन होगा।

42(1). इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माणकारी उद्योग बहुत प्रतिस्पर्धी है और भारत ने अपनी लागत प्रभावी लाभदायक स्थिति का परिचय दिया है। इस उद्योग में रोजगार सृजन की संभावनाएं अपार हैं। भारत को आवश्यक है कि अपने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करे और इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश आकर्षित करे। यहां, मैं, मोबाइल फोनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केन्द्रित स्कीम का प्रस्ताव करती हूं।

42(2). समुचित संशोधन करके, यह स्कीम चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए भी अपनाई जा सकती है।

43. भारत प्रत्येक अच्छी-खासी मात्रा में 16 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के तकनीकी वस्त्रों का आयात करता है। इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए और भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव है जिसकी 1480 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से 2020-21 से 2023-24 की चार-वर्षीय कार्यान्वयन अवधि होगी।

44. लाल किले से, हमारे प्रधानमंत्री जब "जीरो डिफैकट-जीरो इफैक्ट" विनिर्माण की बात करते हैं तो उनका आशय गुणवत्ता और मानकों से है। पिछले साल सितंबर में, मैंने उद्योगों से सभी जरूरी, अनिवार्य तकनीकी मानकों और उनके प्रभावी प्रवर्तन के समयबद्ध अंगीकरण की अपील की थी। इस वर्ष के दौरान, सभी मंत्रालय गुणता मानक संबंधी आदेश जारी करेंगे।

45. उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए, एक नई स्कीम, "निर्विक" का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें उच्चतर बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम राशि में कटौती और दावों के निपटान हेतु सरलीकृत प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। 5वें वर्ष के समाप्त होते होते, आशा है कि इस स्कीम से लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करने में सहायता मिलेगी।

46. केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर लगे शुल्कों और करों, जैसे कि विद्युत शुल्क और

परिवहन के लिए प्रयोग किए गए ईंधन पर वैट को निर्यातकों को डिजीटल तरीके से लौटाने का प्रस्ताव किया जाता है। इन शुल्कों व करों को अब तक मौजूदा अन्य किसी तंत्र के तहत न तो छूट प्राप्त थी और न लौटाया जाता था। *निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की यह स्कीम इस वर्ष शुरू की जाएगी।*

47. प्रधानमंत्री का विजन है कि प्रत्येक जिला एक निर्यात केन्द्र के तौर पर विकसित होना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के बीच तालमेल बैठाया जा रहा है और संस्थागत मैकेनिज्म का सृजन किया जा रहा है।

48. माल, सेवाओं की अधिप्राप्ति और निर्माण कार्यों के लिए एकल मंच उपलब्ध कराने के लिए देश में एकीकृत अधिप्राप्ति प्रणाली के सृजन हेतु सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) योजना अग्रसर है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सुनहरा अवसर है। इस प्लेटफार्म पर 3.24 लाख विक्रेता पहले से ही सक्रिय हैं। इस पर 3 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का प्रस्ताव किया जाता है।

मैं, वर्ष 2020-21 के लिए उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए लगभग 27,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करती हूं।

''आर्थिक विकास'' थीम के अंतर्गत दूसरा फोकस अवसंरचना पर है।

अवसंरचना

49. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर दिए अपने भाषण में बल देकर कहा था कि अगले 5 वर्षों में अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। इसी के अनुकरण में मैंने 31 दिसम्बर, 2019 को 103 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की थी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 6500 से अधिक परियोजनाएं हैं जिन्हें इनके आकार और विकास के चरण के हिसाब से वर्गीवृत किया गया है।

इन नई परियोजनाओं में हाऊसिंग, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मुहैया कराना, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, मेट्रो और रेल यातायात, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाऊसिंग, सिंचाई परियोजनाएं आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक की जीवन शैली में सुधार लाने का विजन रखा गया है। हम इन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के प्रचालन और रखरखाव में जेनरिक और क्षेत्रगत सुधार लाएंगे।

भारत के युवावर्ग के लिए अवसंरचना के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव में रोजगार के अनगिनत अवसर मौजूद हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी अवसंरचना केन्द्रित कौशल विकास के अवसरों को विशेष बल प्रदान करेगी।

50(1). मैं अवसंरनात्मक परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयारी सुविधा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालयों से युवा इंजीनियरों, प्रबंधन स्नातकों और अर्थशास्त्रियों की सक्रिय भागीदारी होगी।

50(2). सरकार की सभी अवसंरचना एजेंसियों को निदेश देने का भी प्रस्ताव है कि स्टार्ट-अप्स में युवा शक्ति को शामिल करें। ये नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना में मूल्यवर्धित सेवाएं लाने में मददगार होंगे।

51. जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी की जाएगी। अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रमुख विनियामकों की भूमिकाएं स्पष्ट की जाएंगी। इसके अंतर्गत सिंगल विंडो वाली ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट सृजित होगी और रोजगार सृजन, कौशल और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

52. राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। इसमें 2500 किमी अभिगम नियंत्रण राजमार्गों, 9000 किमी आर्थिक गलियारों, 2000 किमी तटीय और न्यू पत्तन सड़कों और 2000 किमी सामरिक राजमार्गों का विकास शामिल किया जाएगा।

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे और दो अन्य पैकेज वर्ष 2023 तक पूरे हो जाएंगे। चैन्नई-बेंगलूरू एक्सप्रेसवे को भी शुरू किया जाएगा।

53. फास्टैग तंत्र हमारे राजमार्गों को और अधिक वाणिज्यिकृत करने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अधिक संसाधन जुटा सके। मैं वर्ष 2024 से पहले 6000 किमी से अधिक के राजमार्गों के कम से कम बारह लॉट्स को मौद्रिवृत्ता करने का प्रस्ताव करती हूँ।

54. अपनी ड्यूटी करते हुए भारतीय रेल राष्ट्र को अपनी सेवाएं अर्पित कर रहा है।

(क) इस सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के 100 दिनों के भीतर इसने 550 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधाएं चालू की हैं।

(ख) मानवरहित रेल फाटकों को समाप्त कर दिया है।

(ग) 27000 किमी लंबाई की रेललाइनों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें लागतों को इष्टतम करने की आवश्यवत्ता होगी। रेलवे के पास ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। भारतीय रेल के बारे में मैं अन्य के अलावा इन पांच उपायों पर बल देना चाहूंगीः

- रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर रेल ट्रैक के साथ-साथ बड़ी सोलर पावर क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
- स्टेशन के पुनर्विकास की चार परियोजनाओं और 150 यात्री गाडियों का प्रचालन सरकारी निजी भगीदारी रीति से किया जाएगा। निजी भागीदारी को आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- तेजस के तरह की और गाडियां प्रमुख पर्यटक गंतव्यों को जोड़ेंगी।
- मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन के कार्य में तेजी लाई जाएगी।
- 18600 करोड़ रुपये की लागत वाली 148 किमी लंबी बेंगलूरू सबअर्बन ट्रांसपोर्ट परियोजना में मेट्रो मॉडल पर किरया लगेगा। केन्द्र सरकार 20 प्रतिशत इक्विटी प्रदान करेगी और परियोजना लागत का 60 प्रतिशत तक का भाग विदेशी सहायता से पूरा किया जाएगा।

55. हमारे समुद्री बंदरगाहों को और अधिक दक्ष बनाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी को निष्पादन में और सुधार लाना है। वैश्विक बेंचमार्कों के अनुरूप एक गर्वनेंस फ्रेमवर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

सरकार कम से कम एक बड़ी बंदरगाह को निगमित करने और बाद में इसे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।

56. अंतर्देशीय जलमार्गों को पिछले पांच वर्षों में काफी बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जल विकास मार्ग पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, 890 किमी ढुबरी-सादिया कनेक्टिविटी का कार्य 2022 तक कर लिया जाएगा।

जल मार्गों के विकास कार्य के परिणामस्वरूप नदी के दोनों किनारों के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ''अर्थ गंगा" की अवधारणा रखी है। नदी के किनारों पर आर्थिक कियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को जारी रखा गया है।

57. देश में वैश्विक औसत की तुलना में वायु यातायात तेजी से बढ़ रहा है। उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 तक एक सौ और वायुपत्तन तैयार किए जाएंगे। आशा है कि इस अवधि में वायु बेड़े में वायुयानों की संख्या वर्तमान 600 से बढ़कर 1200 तक पहुंच जाएगी।

मैं 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव करता हूं।

58. हर घर में बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तथापि, वितरण क्षेत्र विशेषकर डिस्कॉन्स वित्तीय दबाव में हैं। मंत्रालय 'स्मार्ट' मीटरिंग को बढ़ावा देना चाहता है। मैं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह करता हूं कि अगले 3 वर्षों में बिजली के पारंपरिक मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से बदल दिया जाए। इसके अलावा, इससे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार आपूर्तिकर्ता और दरों का चयन करने की आजादी मिलेगी।

डिस्कॉम्स में सुधार लाने के लिए और अधिक कदम उठाए जाएंगे।

मैं वर्ष 2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखती हूं।

59. तेल और गैस के अपस्ट्रीम क्षेत्र में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पोलिसी (ओएएलपी) ने काफी सफलता पाई है जिसके अंतर्गत अन्वेषण के लिए निजी क्षेत्र और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 1,37,000 वर्ग किमी भूमि सौंपी है। सिटी गैस वितरण के अधिकार भी वितरित किए गए हैं।

60(1). इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27000 किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव है; और

60(2). भारत में गैस के बजारों को अधिक सघन बनाने का प्रस्ताव है, पारदर्शी मूल्य-निर्धारण को सुकर बनाने और लेन-देनों को सरल बनाने के लिए और अधिक सुधार कार्य शुरू किए जाएंगे।

नई अर्थव्यवस्था

61. नई अर्थव्यवस्था अभिनव परिवर्तनों पर आधारित होती है जो पहले से स्थापित व्यापार मॉडलों का स्थान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (आईओटी), 3-डी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डाटा स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि विश्व की अर्थव्यवस्था की पटकथा लिख रहे हैं। भारत ने पारंपरिक व्यवसायों के स्थान पर एग्रीगेटर प्लेटफार्म्स के साथ साझी अर्थव्यवस्था जैसे नए प्रतिमान पहले ही अपना लिए हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन में सक्षम होने के लिए नई प्रोद्योगिकियों का दोहन किया है और वह भी उस पैमाने पर जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी।

62. अब ''डाटा इज द न्यू ऑयलष एक सूक्ति बन गई है और यह सच भी है कि एनालिटिक्स, फिनटेक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) ने हमारी जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन ला दिया है। इसका लाभ उठाने के लिए मैं :

62(1). जल्द ही ऐसी नीति लाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके जरिए निजी क्षेत्र को देश भर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके। इससे हमारी फर्में अपनी मूल्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक चरण में आंकड़ों को बड़ी कुशलता से समाविष्ट करने में सक्षम होंगी।

62(2). हमारा विजन है ग्राम पंचायत स्तर पर सभी '6 सार्वजनिक संस्थानों जैसे आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजीटल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसलिए, भारतनेट के माध्यम से फाइबर टू होम (एफटीटीएच) कनेक्शनों से इस वर्ष 100,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।

2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम को 6000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है।

63. हमें ज्ञान-प्रेरित उद्यमों के आधार को व्यापक बनाने की आवश्यवत्ता है। बौद्धिक संपदा का सृजन और संरक्षण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संबंध में अनेक उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं जिनसे स्टार्ट-अप्स लाभान्वित होंगे।

63(1). एक ऐसे डिजीटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा जो आईपीआर के निर्बाध अनुप्रयोग और अभिग्रहण को सुकर बनाएगा। इसके अतिरक्त, उत्कृष्टता संस्थान में एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाएगा जो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में जटिलता और नवोन्मेष पर कार्य करेगा।

63(2). नए और उभरते क्षेत्र सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

63(3). अवधारणा के साक्ष्य की डिजाइनिंग, इनके निर्माण और वैधीकरण के लिए और इन टेस्ट बेड्स को संपोषित करते हुए प्रोद्योगिकी क्लस्टरों का स्तर और ऊपर उठाने के लिए छोटे पैमाने पर विनिर्माणकारी सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

63(4). भारत के जेनरिक लैंडस्कप की मैपिंग अगली पीढ़ी की चिविल्सा, कृषि और जैव विविधता प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए हम एक व्यापक डाटाबेस सृजित करने के लिए दो नई राष्ट्र स्तरीय विज्ञान स्कीमों को प्रारंभ करेंगे।

63(5) सरकार पहले चरण के स्टार्टअप्स के उद्भावन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड सहित प्रारंभिक निधि पोषण प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।

64. क्वांटम प्रौद्यौगिकी व्यापक रूप से विविध एप्लीकेशनों के साथ कंप्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा में नए मोर्चे खोल रही है। आशा है कि इस क्षेत्र में विकसित हो रही सैद्धांतिक संरचनाओं से बड़ी संख्या में वाणिज्यिक एप्लीकेशन उभरकर सामने आएंगे।

क्वांटम प्रौद्यौगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 8000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव है।

जिम्मेदार समाज

हमारे तीसरे थीम में हम महिला एवं बाल, सामाजिक कल्याण संस्कृति और पर्यटन पर फोकस करेंगे।

महिला एवं बाल, सामाजिक कल्याण

65. मुझे सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओष के आश्चर्यजनक रूप से सुखद नतीजे देखने को मिले हैं1 शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों से अधिक है। प्रारंभिक स्तर पर यह अनुपात 94.32 प्रतिशत, जबकि लड़कों के लिए यह 89.28 प्रतिशत है। माध्यमिक स्तर पर, यह अनुपात 78 प्रतिशत की तुलना में 81.32 प्रतिशत है, उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कों के 57.54 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों का अनुपात 59.70 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

66. माता और बच्चे का स्वास्थ्य घनिष्ठ रूप से सहसंबद्ध हैं। पोषण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक है। बच्चों (0-6वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणत्मक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2017-18 में 'पोषण अभियान' शुरू किया था। 10 करोड़ से अधिक परिवारों की पोषणात्मक स्थिति को उपलोड करने के लिए छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए गए हैं। इन बदलावों का पैमाना अभूतपूर्व रहा।

67. वर्ष 1929 के शारदा अधिनियम में संशोधन करते हुए 1978 में महिलाओं के विवाह की आयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष से 18 वर्ष की गई। जैसे-जैसे भारत तरक्की कर रहा है, महिलाओं के शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बन रहे हैं। महिला मातृत्व दर में कमी लाना तथा पोषण के स्तरों में सुधार लाना अनिवार्य है। मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिका की आयु से जुड़े संपूर्ण मुद्दे को इस दृष्टि से देखने की आवश्यवत्ता है। मैं एक कार्य बल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती हूॅ जो अपनी अनुशंसाएं छह माह की समयावधि में देगी।

मैं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35600 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव करती हूॅ।

68. महिलाओं के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए इस बजट से महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है।

69. हमारी सरकार इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प है कि सीवर सिस्टमों या सेप्टिक टैंकों की सफाई का कोई मैनुअल कार्य नहीं होगा। ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। यह मंत्रालय इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य कर रहा है। अब हम इसे विधायी एवं संस्थागत परिवर्तनों के माध्यम से इसके तार्किक निर्णय पर ले जाएंगे। ऐसी प्रौद्योगिकीयों की व्यापक पैमाने पर स्वीकृति के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

70. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की दिशा इस सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, मैं वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव करती हूँ।

71. अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए मैं वर्ष 2020-21 के लिए बजट में लगभग 53,700 करोड़ रुपए का प्रावधान करती हूँ।

72. इस सरकार को वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की समस्याओं की चिंता है। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 9,500 करोड़ रुपए का आबंटन मुहैया कराया जा रहा है।

संस्कृति एवं पर्यटन

73. हमारी सरकार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करती है; इसे शुरू में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त होगा। ऐसे खोजों की वैज्ञानिक प्रमाणिवत्ता जुटाने और उनका विश्लेषण करने और उच्चस्तरीय संग्रहालयों के माध्यम से उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए संग्रहालय विज्ञान एवं पुरातत्व विज्ञान जैसी विधाओं में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। वर्तमान में, इन दोनों विषयों में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी एक रुकावट है। इससे पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

74. स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में पांच पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। वे हैंः राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धौलाविरा (गुजरात) और अदिचनल्लूर (तमिलनाडु)।

75. हमारे प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2020 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय, जो देश में सबसे पुराना है, के पुनरुद्धार की घोषणा की थी।

75(1). ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में, मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय भी स्थित होगा। पूरे देश में चार और संग्रहालयों का नवीकरण और री-क्यूरेशन किया जाएगा ताकि आगंतुकों को एक विश्वस्तरीय अनुभूति मिल सके। हमारी सरकार, रांची (झारखंड) में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का समर्थन करेगी।

75(2). लोथल, जो अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग का एक नौवहन स्थल है, में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।

मैं 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय को 3150 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करती हूँ।

76. यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक (विश्व आर्थिक मंच) में भारत का रैंक 2014 के 65वें स्थान से सुधरकर 2019 में 34 हो गया। जनवरी से नवम्बर, 2019 की अवधि का विदेशी विनिमय आय 1.75 लाख करोड़ रुपए से 7.4 प्रतिशत बढ़कर 1.88 लाख करोड़ रुपए हो गया।

पर्यटन में वृद्धि का विकास और रोजगार से सीधा संबंध है। राज्यों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें कुछ चिह्नित स्थानों के लिए एक योजना तैयार करेंगी और 2021 के दौरान वित्तीय योजना तैयार करेंगी जिसके तहत 2020-21 में राज्यों को विशिष्ट अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मैं वर्ष 2020-21 के लिए 2500 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करती हूँ।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

77. सितम्बर, 2019 में, प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अपने सचिवालय के साथ आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मिलन (सीडीआरआई) का शुभारंभ किया है। यह वैश्विक भागीदारी 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग की शुरूआत के बाद, इस प्रकार की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इस वैश्विक भागीदारी से सीईएनडीएआई संरचना के एक भाग के रूप में अनेक दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे आपदा उन्मोचन अवसंरचना पर जोर देने से जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाना संभव होगा।

78. देश के विकास संबंधी आवश्यवत्राओं को ध्यान में रखते हुए, भारत ने एक 'सर्वोत्तम प्रयास' के आधार पर 2015 के पेरिस करार के अंतर्गत, अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान सौंपा। इसका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2021 से होगा। कार्य के रूप में हमारी प्रतिबद्धताएं सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएंगी।

79. अभी भी ऐसे जल विद्युत संयंत्र हैं जो पुराने हैं और उनका कार्बन उत्सर्जन स्तर बहुत अधिक है।

ऐसे विद्युत संयंत्रों के लिए, हम प्रस्ताव करते हैं कि यदि उनका कार्बन उत्सर्जन पूर्व निर्धारित मानकों से अधिक हो, तो उन्हें चलाने की उपयोगिता उन्हें बन्द कर देने में ही है। इस प्रकार खाली भूमि का वैकल्पिक उपयोग किया जा सवत्रा है।

80. एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में, स्वच्छ हवा चिंता का विषय है। सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है जो एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना रही हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं। इस प्रोत्साहन के मानदण्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए, वर्ष 2020-21 के लिए 4400 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है।

(इस कुरल का अर्थ है कि बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा (प्रजा की), ये पांच चीजें किसी राज्य के आभूषण हैं)

अभिशासन

81. माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैंने फूलों के गुलदस्ते के रंग और घटक द्व योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। उन्हें आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार भारत के अंतर्गत वर्गीवृत्ता किया गया है। अब मैं उन दो हाथों के बारे में बताती हूँ जो उन्हें संभालेंगे। उनमें से एक

हाथ अभिशासन द्ध निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त, नीति संचालित और सही इरादा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण निष्ठा में विश्वास करना है। प्रत्येक नागरिक, आकांक्षी युवा, कठिन परिश्रम करने वाली महिलाओं, जोखिम उठाने वाले उद्यमियों, सर्वदा आशान्वित और परिश्रमी किसान या बुद्धिमान एवं वृद्ध वरिष्ठ नागरिक पर विश्वास करना। उनमें से कई करदाता हैं। आज अन्य लोग करदाता नहीं हो सवलो हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे समक्ष सभी नागरिकों की तरफ से लक्ष्य के रूप में हासिल करने के लिए 'जीवन आसान' को प्रस्तुत किया है। 'जीवन आसान' और 'व्यवसाय करना सरल' दोनों का एक महत्वपूर्ण पहलु कर प्रशासन की निष्पक्षता और कुशलता है। हम इस बजट के माध्यम से विधानों में एक "करदाता संहिता" शामिल करना चाहते हैं। हमारी सरकार करदाताओं को पुनः आश्वस्त करना चाहती है कि हम उपाय करते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारे नागरिक किसी भी प्रकार की कठिनाई से मुक्त हों।

82. विधानों में कार्यों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी, जो सिविल प्रकृति का है, तय करने के बारे में बहस चल रही है। अतः, कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है जो इसे ठीक कर देगा। उसी प्रकार, जहां उपबंध मौजूद है, वहां अन्य कानूनों की भी जांच की जाएगी और उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जाएगा।

83. सरकार का इरादा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। वर्तमान में, अभ्यर्थियों को समान पदों के लिए अलग-अलग समय पर अनेक एजेंसियों द्वारा आयोजित अनेक परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों के समय, प्रयास और खर्चे पर भारी बोझ पड़ता है। उन अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया जाता है। प्रत्येक जिले में, विशेषरूप से आकांक्षी जिलों में एक परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

84. व्यावसायिक एवं अन्य विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए, सरकार ने अनेक अधिकरणों और विशेषज्ञ निकायों का गठन किया है। सर्वश्रेष्ठ मेधावी एवं पेशेवर विशेषज्ञों को आकृष्ट करने के लिए इन निकायों में सीधी भर्ती सहित नियुक्ति के एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

85. एक स्थायी एवं भविष्यसूचक व्यवसाय वातावरण इस सरकार की एक मुख्य विशेषता है। संविदाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, इस बात पर भी एक बड़ी बहस चल रही है। भारत में संविदाओं से संबंधित एक व्यवस्थित ढांचा है। हम उसे सुदृढ़ करने पर विचार करेंगे।

86. निरंतर जटिल होती जा रही हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक समय निगरानी की चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की आवश्यवला बढ़ती जा रही है। आकड़ों की बहुत ही अधिक विश्वसनीयता होनी चाहिए। आधिकारिक सांख्यिकी से संबंधित प्रस्तावित नई राष्ट्रीय नीति में कृत्रिम बुद्धिमता सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इससे आधुनिक आकड़ा संग्रहण, समेविला सूचना पोर्टल और सूचनाओं का समय पर प्रसारण की दिशा में एक कार्य-योजना तैयार होगी।

87. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाठ के अवसर पर वर्ष 2022 में जी20 अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। इस अध्यक्षता के दौरान, भारत महत्वपूर्ण रूप से वैश्विक आर्थिक एवं विकास कार्यक्रम का संचालन करने में समर्थ हो सकेगा। इस

ऐतिहासिक अवसर पर, मैं इसकी तैयारी आरंभ करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आबंटित करती हूँ।

88. सरकार के विकास कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र की बहुत अधिक प्राथमिवला है। सरकार अभिनव एवं विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ कार्यों को आरंभ करने में सहायक होने के लिए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से वित्तीय सहायता सुचारू रूप से पहुँचना सुनिश्चित कर रही है। केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन की जेस्टेशन अवधि कम करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार आया है।

89. सरकार नव गठित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास में सहायता देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तदनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को 5,958 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

वित्तीय क्षेत्र

90. यदि अभिशासन को आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार भारत वाले गुलदस्ते को पकड़े हुए दो हाथों में से एक हाथ के रूप में उललेख किया जाए, तो दूसरा हाथ वित्तीय क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के लिए, एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के हमारे प्रयासों में, वित्तीय ढांचा विकसित होते रहना चाहिए और अधिक से अधिक सुदृढ़ होते रहना चाहिए।

91. हमने पिछले कुछ समय पहले 10 बैंकों का एकीकरण करके चार बैंक करने का अनुमोदन किया था। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने विनियामक एवं विकास के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूँजी के माध्यम से लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए प्रदान किया था। इन बैंकों में अभिशासन संबंधी सुधार किए जाएंगे ताकि वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

उनमें से कुछ बैंकों को अतिरिक्त पूँजी जुटाने के लिए पूँजीगत बाजार में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

92. मैं इस गरिमामयी सदन को यह बताना चाहती हूं कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक ठोस तंत्र विद्यमान है और जमावर्लाओं का पैसा सुरक्षित है।

इसके अतिरिक्त, जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को जमावर्ला के लिए जमा राशि बीमा का दायरा, जो इस समय 1 लाख रुपये है उसे बढ़ाकर प्रति जमावर्ला 5 लाख रुपये किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

93. सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि वृत्तिदक्षता में वृद्धि की जा सके, पूंजी तक पहुंच हो सके और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सुदृढ़ बैंकिंग के लिए अभिशासन और निगरानी में सुधार लाया जा सके।

94. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हेतु प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के अधीन ऋण वसूली हेतु पात्र होने के लिए एनबीएफसी हेतु सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये का आस्ति सीमा किए जाने अथवा मौजूदा 1 करोड़ रुपये से घटाकर ऋण सीमा 50 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।

95. पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। फिर भी, अपेक्षावृत्ता अधिक निजी पूंजी की आवश्यवत्ता है। तदनुसार, भारत सरकार के आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को बेचे जाने का प्रस्ताव है।

96. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पारदर्शिता और अपेक्षावृत्ता अधिक वृत्तिदक्षता लाने के लिए और भी कदम उठाए जाने की आवश्यवत्ता है। सरकार उचित उपाय करेगी।

97. नौकरी के दौरान आवागमन को आसान बनाने में मदद करने के लिए, हम सार्वभौमिक पेंशन के दायरे को स्वतः नामांकन में लाना चाहते हैं; हम ऐसे तंत्र भी लाना चाहते हैं जो अंतर-प्रचालनीयता में समर्थ बना सके और संचित निधियों के लिए सुरक्षा उपाय मुहैया करा सकें।

पीएफआरडीएआई की विनियमनकारी भूमिका के सुदृढ़ीकरण की आश्यवत्ता है। भारतीय पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम में ऐसे आवश्यक संशोधन किए जाएंगे जो पीएफआरडीएआई से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस न्यास के पृथक्करण को भी सुकर बनाएंगे। यह सरकार से इतर कर्मचारियों द्वारा पेंशन न्यास की स्थापना में भी समर्थ बनाएगा। मुझे विश्वास है कि इससे नागरिक अपनी वृद्धावस्था के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित होंगे।

98. अर्थव्यवस्था के पहिये को चलायमान रखने के लिए एमएसएमई अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये नौकरियों, नवाचार तथा जोखिम लेने वालों का सृजन भी करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इस बजट में भी और अधिक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

98(1). मैं, कारक विनियमन अधिनियम, 2011 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे एनबीएफसी टीआरईडीएस के जरिए लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए बीजक वित्त पोषण का विस्तार करने में समर्थ होंगी, जिससे उनकी आर्थिक और वित्तीय धारणीयता में वृद्धि होगी।

98(2). कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण एमएसएमई के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एमएसएमई के उद्यमियों के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने हेतु एक स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस ऋण की गणना अर्ध-इक्विटी के रूप में की जाएगी। और मध्यम तथा लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से इसे पूरी गारंटी प्रदान की जाएगी। तदनुसार, सरकार द्वारा सीजीटीएमएसई की राशि में वृद्धि की जाएगी।

98(3). पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत ऋण संरचना से पांच लाख से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। पुनर्संरचना विंडो 31 मार्च, 2020 को समाप्त होनी थी। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस विंडो का 31 मार्च, 2021 तक विस्तार करने पर विचार किए जाने का अनुरोध किया है।

98(4). एक ऐप-आधारित बीजक वित्तपोषण ऋण उत्पाद प्रारंभ किया जाएगा। इससे एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतानों और परिणामी नकदी प्रवाह की विसंगति की समस्या का निराकरण होगा।

99. मध्यम-आकार की अनेक कंपनियां घरेलू तौर पर सफल हैं किन्तु निर्यात बाजारों में वे सफल नहीं हैं। भेषज, आटो संघटकों और अन्य जैसे चुनिंदा सेक्टरों के लिए हम प्रौद्योगिकी उन्नयनों, अनुसंधान और विकास, व्यवसाय संबंधी कार्यनीति आदि के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं। सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा 1000 करोड़ रूपए की स्कीम प्रारंभ की जाएगी। इन दोनों संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था 50 करोड़ रुपये का अंशदान करेगी। यह 100 करोड़ रुपये की राशि इक्विटी और तकनीकी सहायता के लिए प्राप्त की जाएगी। बैंकों से 900 करोड़ रुपये का ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्तीय बाजार

100. पिछले वर्ष, बजट भाषण में, मैंने बांड बाजार को गहन बनाने का उल्लेख किया था। आकांक्षी वृद्धि दर हासिल करने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रणाली में पूंजी प्रवाह की आवश्यवत्ता होगी। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से काफी कार्य किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को निम्न उपलब्धियों के बारे में बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है

100(1). सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों को उपलब्ध कराए जाने के अतिरिक्त अनिवासी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह से खोल दी जाएंगी।

100(2). कारपोरेट बांडों में एफपीआई के लिए सीमा, वर्तमान में बकाया स्टॉक का 9 प्रतिशत, बढ़ाकर कारपोरेट बांडों के बकाया स्टॉक की 15 प्रतिशत कर दी जाएगी।

100(3). निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और ऋण चूक स्वैप का दायरा बढ़ाने के लिए, हम वित्तीय संकुचनों को कम करने के लिए एक तंत्र तैयार करने हेतु एक विधान तैयार करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे सदन के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

101. सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई ऋण-आधारित एक्सचेंज कारोबारित निधि (ईटीएफ) एक बड़ी सफलता थी। सरकार मूल रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करके एक नई ऋण-ईटीएफ शुरू करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करती है।

यह खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच सुलभ कराने के साथ-साथ पेंशन निधियों और दीर्घावधिक निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश प्रदान करेगी।

102. एनबीएफसी/एचएफसी की नकदी संबधी बाधाओं का निराकरण करने के लिए, केन्द्रीय बजट 2019-20 के बाद, सरकार ने एनबीएफसी के लिए एक आंशिक ऋण गारंटी स्कीम तैयार की है। नकदी उपलब्ध कराने की इस सहायता को आगे बढ़ाने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाएगा। सरकार इस प्रकार शुरू की गई प्रतिभूतियों की गारंटी देकर सहायता प्रदान करेगी।

अवसंरचना वित्तपोषण

103. जब 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं की घोषणा की गई थी तब अवसंरचना में निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। मैं यह भी सूचित करना चाहूंगी कि अवसंरचना परियोजना की सहायता के रूप में लगभग 22,000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह आईआईएफसीएल तथा एनआईआईएफ की सहायक कंपनी जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों को इक्विटी सहायता की पूर्ति करेगी। वे इसका उपयोग, यथा अनुमेय, 1,00,000 करोड़ से अधिक की वित्तपोषण

परियोजना के सृजन के लिए करेंगे। इससे अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक ऋण के एक बड़े स्रोत का सृजन होगा और एक बहुप्रतीक्षित अनिवार्यता पूर्ण होगी।

104. आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा सर्वोत्कृष्ट डेटा प्रोसेसिंग का केन्द्र बनने की क्षमता है।

104(1). आवास भवन के लिए गिफ्ट आईएफएससी एक अनुमोदित मुक्त व्यापार जोन है। इसकी पहले से ही 19 बीमा कंपनियां, 40 बैंकिंग कंपनियां हैं। इसने बहुमूल्य धातु परीक्षण प्रयोगशालाओं और परिष्करण सुविधाओं की स्थापना का भी प्रावधान किया है। विनियामक के अनुमोदन से, गिफ्ट सिटी वैश्विक बाजार भागीदारों द्वारा व्यापार के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में गिफ्ट-आईएफएससी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना करेगा। यह स्वर्ण आयातों और निर्यातों के लिए प्राथमिक अंतरमध्यवर्ती होगा। यह भारत को विश्व भर में अपने स्थान को सुधारने और भारत में रोजगार सृजित करने में समर्थ बनाएगा तथा इससे स्वर्ण का बेहतर मूल्य अन्वेषण हो पाएगा।

104(2). हालिया वर्षों में अपतटीय वित्तीय केन्द्रों में भारतीय रुपये की व्यापार मात्रा में भी उछाल आया है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने गिफ्ट सिटी, गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में व्यापार किए जाने वाले रुपी व्युत्पादों को अनुमति देने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

विनिवेश

105. स्टॉक एक्सचेंजों में कंपनियों को सूचीबद्ध करना कंपनी को अनुशासित करता है और वित्तीय बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराता है तथा इसके मूल्य को मुक्त करता है। यह खुदरा निवेशकों को इस प्रकार सृजित संपदा में भागीदारी के लिए अवसर भी प्रदान करता है। वर्तमान में सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।

राजकोषीय प्रबंधन

106. 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी प्रथम रिपोर्ट दे दी है। सहकारी संघवाद की भावना से मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। यह आयोग 2021-22 से प्रारंभ होने वाले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट वर्ष के बाद वाले भाग के दौरान प्रस्तुत करेगा।

106. मैंने वर्ष 2016-17 और 2017-18 की संग्रहण में से देय जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि शेष राशियों को दो किस्तों में अंतरित करने का निर्णय लिया है। इसके पश्चात, निधि में अंतरण जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के जरिए संग्रहण तक ही सीमित होगा।

107. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं को भविष्य की उभरती सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के मुताबिक बनाने, और **यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमित सरकारी संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो,** बुनियादी कायापलट आवश्यक है।

108. हाल ही में संभावित राजकोषीय आंकड़ों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बहस होती रही है। मैं इस सदन को आश्वस्त करती हूँ कि अपनाई गई प्रक्रिया एफआरबीएम अधिनियम, के अनुरूप है। यह अब तक अपनाई गई परिपाटियों के भी अनुरूप है।

तथापि, और अधिक स्पष्टता के लिए, मैंने अनुबंधों में केन्द्रीय सरकार के उस ऋण की गणना की है जो बाजार उधार के भाग नहीं हैं और जिनका उपयोग व्यय को वित्तपोषित करने

के लिए किया जाता है। अब तक इन ऋणों के ब्याज का शोधन और अदायगी भारत की संचित निधि से की गई है।

109. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यय के संशोधित अनुमान 26.19 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर हैं और प्राप्तियां 19.32 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए हमने उपलब्ध प्रवृत्तियों के आधार पर जीडीपी की 10 प्रतिशत पर मामूली वृद्धि अनुमानित की है। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्तियां 22.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं और, विभिन्न स्कीमों और जीवन की गुणवत्ता, सुधार की आवश्यवत्ता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए व्यय के स्तर को 30.42 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

वर्ष के दौरान सरकार ने पूंजी व्यय को ऊपर रखते हुए निर्बाध रूप से कार्य किया है। वस्तुतः इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। ब्यौरा मेरे भाषण की मुद्रित प्रति के अनुबंधों में देखा जा सवत्ता है।

110. प्रत्येक बजट में राजकोषीय घाटे के मुद्दे का उचित रूप से निराकरण किया जाना चाहिए। हाल ही में सरकार ने निवेशों को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कर सुधार किए हैं। तथापि, संभावित कर वृद्धि में समय लगेगा।

हमने स.अ. 2019-20 में 3.8 प्रतिशत और ब.अ. 2020-21 के लिए 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। यह अनुमान सरकार की वृहद आर्थिक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहने के अनुरूप है। इसमें दो घटक शामिल हैं:

(क) वर्ष 2019-20 के लिए 3.3 प्रतिशत और 2020-21 ब.अ.के लिए 3 प्रतिशत;

(ख) एफआरबीएम एक्ट की धारा 4(2) में अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों के कारण अनुमानित राजकोषीय घाटे से अंतर के लिए एक ट्रिगर तंत्र का प्रावधान है। अतः, मैंने सं.अ. 2019-20 और ब.अ. 2020-21 दोनों के लिए, एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(3) के अनुरूप 0.5 प्रतिशत का अंतर लिया है।

तदनुसार, संसद के समक्ष मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह-कार्यनीति संबंधी विवरण के रूप में वापसी पथ प्रस्तुत किया जा रहा है। यह राजकोषीय पथ हमें सरकारी निधियों से निवेश की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना राजकोषीय सुदृढ़ता के पथ के लिए प्रतिबद्ध करता है।

तदनुसार, 2019-20 के लिए निवल बाजार उधार 4.99 लाख करोड़ रुपये होगा और वर्ष 2020-21 के लिए यह 5.36 लाख करोड़ रुपये होगा।

111. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उधारों का एक अच्छा हिस्सा सरकार के उस पूंजीगत व्यय के लिए चला जाएगा जो 21 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था दूसरी 22,000 करोड़ रुपये की राशि कतिपय ऐसी विनिर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनियों को वित्तपोषित करने हेतु इक्विटी के लिए आबंटित की गई है जो इसे कई गुणा बढ़ा लेंगी और अवसंरचना क्षेत्र को और अधिक आवश्यक दीर्घावधिक वित्त उपलब्ध कराएंगी। इससे अर्थव्यवस्था की वर्धित गति में भी सुधार होना चाहिए।

अब मैं अपने भाषण के भाग ख में अपने विचार रखूंगी।

भाग ख

प्रत्यक्ष कर

112. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने मूलभूत राजकोषीय उपायों की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था का उच्च वृद्धि के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहना सुनिश्चित किया है। यह ऐसा समय है जब देश व्यवसाय के सर्वाधिक आकर्षण गंतव्य बनने के लिए एक दूसरे के साथ ऐसी होड़ में लगे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसिलए यह आश्वस्त होने के लिए कि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी और निवेश के लिए अनुकूल गंतव्य बना रहे, हमने विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए कार्पोरेट कर दर को अभूतपूर्व रूप से कम करके 15% के स्तर पर लाने का साहसी और ऐतिहासित निर्णय लिया। इसी तरह, मौजूदा कंपनियों के लिए भी उक्त दर को कम करके मात्र 22% कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, हमारी कार्पोरेट कर दरें अब विश्व में न्यूनतम दरों में शामिल हैं। इससे कंपनियां अपने व्यवसायों को फैलाने में और भविष्य में नए निवेश करने में सक्षम होंगी। हालांकि थोड़े समय के लिए,इन उपायों के चलते हमें अत्यधिक राजस्व की हानि होगी, फिर भी मैं निश्चित हूं कि लंबे समय बाद हमारी अर्थव्यवस्था को इनका प्रचुर लाभ होगा।

> सूर्य जल की नन्हीं बूदों से वाष्प लेता है। यही राजा भी करता है। बदले में ये प्रचुर मात्रा में लौटाते हैं। वे लोगों के कल्याण के लिए ही संग्रह करते हैं।
>
> (कालिदास रचित रघुवंश के सर्ग 1, दोहा 18)

113. अभी तक किए गए सुधारात्मक उपायों के क्रम में, इस बजट के कर प्रस्तावों में वृद्धि को उत्प्रेरित करने, कर ढांचे को सरल बनाने, अनुपालन को सहज बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए और अधिक सुधार शुरू किए जाएंगे।

114. व्यक्तिक आयकर और कराधान का सरलीकरण

- 2019 के अंतिरम बजट में हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यष्टियों को आयकर से छूट दी थी। लेकिन वर्तमान में, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की आय पर 20% और 10 लाख रुपए के ऊपर की आय पर 30% कर का भुगतान करता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में आयकर अधिनियम विभिन्न छूटों और कटौतियों से भरा पड़ा है जिससे करदाता द्वारा अनुपालन और कर प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम का प्रशासन बोझिल हो गया है। किसी करदाता के लिए पेशेवरों की सहायता के बिना आय कर कानून का अनुपालन करना लगभग असंगत हो गया है।

- व्यष्टि करदाताओं को पर्याप्त राहत देने और आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए, मैं एक नई और सरलीकृत वैयक्तिक आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव

करती हूँ जिसमें उन व्यष्टि कर दाताओं के लिए आयकर दरों को पर्याप्त रूप से कम किया जाएगा जो कतिपय कटौतियों और छूटों का त्याग करते हैं।

- नई व्यवस्था में,एक व्यष्टि को 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए के बीच आय के लिए 20% की वर्तमान दर के स्थान पर 10% की कम दर पर कर भुगतान करना होगा।
- 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की आय के लिए वह 20% की वर्तमान दर के स्थान पर 15% की दर पर कर भुगतान करेगा।
- इसी तरह 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपए के बीच की आय के लिए करदाता वर्तमान 30% की दर के स्थान पर 20% की कम दर पर कर भुगतान करेगा।
- 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच की आय पर 30% की मौजूदा दर के स्थान पर 25% की दर पर कर लगेगा। 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% की दर से कर लगता रहेगा।
- जो 5 लाख रुपए तक आय अर्जित करते हैं उन्हें न तो पुरानी व्यवस्था में और न ही नई व्यवस्था में कोई कर देने की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित कर ढांचा करदाताओं को पर्याप्त राहत देगा और उनको अधिक राहत मिलेगी जो मध्यम वर्ग से हैं।

कर योग्य आय के स्लैब (रुपए)	**मौजूदा कर दरें**	**नई कर दरें**
0-2.5 लाख	छूट	छूट
2.5-5 लाख	5%	5%
5-7.5 लाख	20%	10%
7.5-10 लाख	20%	15%
10-12.5 लाख	30%	20%
12.5-15 लाख	30%	25%
15 लाख से ऊपर	30%	30%

- नई कर व्यवस्था में, किसी करदाता द्वारा दावित छूटों और कटौतियों के आधार पर उसे पर्याप्त कर लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक वर्ष में 15 लाख रुपए अर्जित करता है और किसी कटौती का लाभ नहीं उठा रहा है तो उसे पुरानी व्यवस्था में 2,73,000 रुपए देने होते जबकि अब उसे मात्र 1,95,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इस प्रकार उसका कर भार नई व्यवस्था में 78,000 रुपए कम हुआ है। वह नई व्यवस्था में तब भी लाभ में रहेगा भले ही वह पुरानी व्यवस्था के

तहत आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के तहत 1.5 लाख रुपए की कटौती ले रहा हो।

- नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। कोई व्यष्टि जो वर्तमान में अधिनियम के तहत और अधिक कटौतियां और छूटें ले रहा है, उनका लाभ उठाने का विकल्प दे सकता है और पुरानी व्यवस्था में कर का भुगतान करना जारी रख सकता है।

- नई व्यक्तिगत आयकर दरों के लिए प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपए का अनुमानित परित्यक्त राजस्व आवश्यक होगा। हमने आयकर विवरणी को समय-पूर्व करने के उपाय भी शुरू किए हैं ताकि नई व्यवस्था का विकल्प देने वाले व्यष्टि को अपनी विवरणी दायर करके और आयकर देने में किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

- *आयकर प्रणाली को सरल बनाने के लिए, मैंने विगत अनेक दशकों में आय कर कानून में समाविष्ट की गई सभी छूटों और कटौतियों की समीक्षा की है। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि वर्तमान में आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रकृति की एक सौ से अधिक छूटें और कटौतियां प्रदान की गई हैं। मैंने नई सरलीकृत व्यवस्था में इनमें से लगभग 70 को हटा दिया है। हम कर प्रणाली को और अधिक सरल बनाने और कर दर को कम करने के विचार से आने वाले वर्षों में शेष छूटों और कटौतियों की समीक्षा करेंगे और इन्हें युक्तिसंगत बनाएंगे।*

115. लाभांश वितरण कर

- फिलहाल, कंपनियों को अपने शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश पर लागू अधिभार और उप कर सहित 15% की दर से लाभांश वितरण कर (डीडीटी) देना होता है और यह कर कंपनी द्वारा अपने लाभों पर देय कर के अतिरिक्त होगा।

- यह भी तर्क दिया गया है कि डीडीटी के उद्ग्रहण की प्रणाली के परिणामस्वरूप निवशकों के कर भार में वृद्धि होती है, विशेषकर उनके लिए जिनकी लाभांश आय को उनकी आय में शामिल किया जाए तो उन्हें डीडीटी की दर से कम दर पर कर देना होता है।

- इसके अतिरिक्त, अधिकांश विदेशी निवेशकों को उनके अपने देश में डीडीटी की अनुपलब्धता होने के परिणामस्वरूप उनके लिए इक्विटी पूंजी पर लाभ की दर में कमी आएगी। भारतीय इक्विटी बाजार को और आकर्षक बनाने तथा निवेशकों के बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए मैं लाभांश वितरण कर को हटाने का और लाभांश कराधान की क्लासिकल प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव करती हूँ जिसके तहत कंपनियों को डीडीटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाभांश पर कर केवल प्राप्तकर्ताओं के हाथों में उनकी लागू दर पर ही लगाया जाएगा।

- आगे, करों के क्रम प्रपाती प्रभाव को दूर करने के लिए, मैं धारक कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी से प्राप्त किए गए लाभांश के लिए कटौती देने का भी प्रस्ताव करती हूँ। डीडीटी को हटाए जाने से 25,000 करोड़ रुपए का अनुमानित वार्षिक परित्यक्त राजस्व परिणत होगा।

- यह एक और साहसी कदम है जिससे भारत निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनेगा।

116. विद्युत उत्पादक कंपनियों के लिए रियायती कर दर

- विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, सितंबर 2019 में नए उपबंध शामिल किए गए थे जिनमें, विनिर्माण क्षेत्र में नई शामिल घरेलू कंपनियों, जो 31 मार्च, 2023 तक विनिर्माण प्रारंभ करेंगी, को 15% की रियायती कार्पोरेट कर दर पेश की गई है।

- विद्युत क्षेत्र मे निवेश को आकर्षित करने के लिए,मैं विद्युत उत्पादन में लगी नई घरेलू कंपनियों को भी 15% की रियायती कार्पोरेट कर दर देने का प्रस्ताव करती हूँ।

117. विदेशी निवेशों के लिए कर रियायत

- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी सरकारों के सॉवरेन धन कोष द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनके द्वारा 31 मार्च, 2024 से पहले और न्यूनतम 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ अवसंरचना और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए निवेश के संबंध में उनके ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभों को 100% कर छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ।

- विदेशी निधियों को कम लागत पर उपलब्ध कराने के लिए, मैं ली गई उधार धनराशि और जारी किए गए बांडों के संबंध में गैर-निवासियों को ब्याज भुगतान के लिए धारा 194एलसी के तहत रोके रखने की 5% की रियायती दर की अवधि को 30 जून, 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।

- मैं भारतीय कंपनियों और सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा जारी बाँडों के संबंध में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और योग्य (अर्हक) विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को ब्याज भुगतान के लिए धारा 194एलडी के तहत 5% की रोके रखने की निम्न दर की अवधि को भी 30 जून 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।

- मैं धारा 194ठघ के अंतर्गत 5 प्रतिशत की विदहोल्डिंग की रियायती दर म्यूनिसिपल बांडों पर किए गए ब्याज भुगतान पर भी लागू करने का प्रस्ताव करती हूं।

- आईएफएससी एक्सचेंज पर बांडों के सूचीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उसके एक्सचेंज पर सूचीबद्ध बांडों पर ब्याज भुगतान की विदहोल्डिंग दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करती हूं।

118. स्टार्ट-अप

स्टार्ट अप हमारी अर्थव्यवस्था के विकास इंजिन के रूप में उभर कर आए हैं। पिछले वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने उनकी सहायता करने और उनके विकास को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए हैं। अपने विकासात्मक वर्षों के दौरान स्टार्ट अप अत्यंत प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए आम तौर पर एम्पलायी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईएसओपी) का प्रयोग करते हैं। ईएसओपी इन कर्मचारियों के लिए प्रतिभूति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस समय, ईएसपीओ निष्पादन के समय पूर्वशर्त के रूप में करयोग्य है। इसके परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों के लिए नकद प्रवाह की समस्या उत्पन्न होती है जो अपने शेयर तत्काल नहीं बेचते और उन्हें लम्बे समय तक रखते हैं। स्टार्ट अप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मैं पांच वर्ष तक अथवा उनके द्वारा कंपनी छोड़े जाने अथवा उनके द्वारा अपने शेयर बेचे जाने तक, जो भी पहले हो, कर भुगतान को आस्थगित रखकर कर्मचारियों पर कराधान के बोझ को कम करने का प्रस्ताव करती हूं।

- इसके अतिरिक्त, 25 करोड़ रुपये का कुल कारोबार करने वाले पात्र स्टार्ट अप को यदि कुल कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक न हो, तो सात वर्षों में से लगातार तीन निर्धारण वर्षों के लिए अपने लाभ की 100 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाती है। बड़े स्टार्ट अप को यह लाभ देने के लिए मैं कुल कारोबार की सीमा मौजूदा 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा, इस तथ्य को मानते हुए कि आरंभिक वर्षों में, इस कटौती का लाभ उठाने के लिए किसी स्टार्टअप को पर्याप्त लाभ न हुआ हो, मैं कटौती के दावे की पात्रता अवधि बढ़ाकर मौजूदा 7 वर्ष से 10 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूं।

119. सहकारी संस्थाओं के लिए रियायती कर दर

- सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों को ऋण की सुविधा देने, निविष्टियों की खरीद तथा उत्पादों के विपणन को आसान बनाकर हमारी अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में इन सहकारी संस्थाओं पर अधिभार और उपकर के साथ 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। बड़ी रियायत के तौर पर तथा सहकारी संस्थाओं और कारपोरेट के बीच समानता लाने के लिए, मैं इन संस्थाओं पर छूट/कटौती के बिना 10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर के साथ 22 प्रतिशत कर भुगतान का विकल्प होने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त, मैं जिस प्रकार कंपनियों को नई कर प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम वैकाल्पिक कर (मैट) से छूट प्राप्त है, उसी प्रकार सहकारी संस्थाओं को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट होने का भी प्रस्ताव करती हूं।

120. मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई)

इस समय, एक करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वालों को लेखापाल द्वारा अपनी बही खातों की लेखा परीक्षा करवाना अपेक्षित है। एमएसएमई क्षेत्र के छोटे खुदरा व्यापारियों, व्यवसायियों, दुकानदारों पर अनुपालन का भार कम करने के लिए, मैं लेखापरीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा में पांच गुना वृद्धि करके मौजूदा 1 करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं। लेस कैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

वर्धित सीमा केवल उन व्यवसायियों के लिए प्रयोज्य होगी जो अपने व्यवसाय संबंधी लेनेदेन में 5 प्रतिशत से कम नकद का प्रयोग करते हैं।

121. सस्ते मकान

- 'सभी के लिए आवास' तथा सस्ते मकानों का लक्ष्य हासिल करने के लिए, मैंने पिछले बजट में सस्ते मकान की खरीद हेतु लिए गए ऋणों पर प्रदत्त ब्याज हेतु एक लाख पचास हजार रुपये तक अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। यह कटौती 31 मार्च, 2020 या पहले स्वीकृत किए गए आवास ऋणों पर दी गई थी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकाधिक व्यक्ति इसका लाभ उठाएंगे और सस्ते मकानों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, मैं इस अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाने के लिए ऋण स्वीकृति की तिथि में एक वर्ष की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करती हूं।

- इसके अतिरिक्त, देश में सस्ते आवासों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 31 मार्च, 2020 तक अनुमोदित सस्ते आवास की परियोजना के विकासकर्त्ता द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान है। सस्ते आवास की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, मैं इस टैक्स हॉलिडे का लाभ उठाने के लिए सस्ते आवास की परियोजनाओं की अनुमोदन की तिथि में एक वर्ष की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करती हूं।

122. स्थावर संपदा लेनदेनों को रियायत

- इस समय, स्थावर संपदा में लेनदेन के संबंध में पूंजी लाभ, व्यवसाय लाभ तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर कर आरोपित करते समय यदि विचाराधीन मूल्य सर्किल दर की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक है, तो इस अंतर को क्रेता और विक्रेता दोनों की आय मानी जाती है। स्थावर संपदा लेनदेन में कठिनाइयों को कम करने तथा इस क्षेत्र को राहत देने के लिए, मैं यह सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।

123. धर्मार्थ संस्थाएं

- समाज में धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अदा की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए, इन संस्थानों की आय को कराधान से पूर्ण छूट प्राप्त है। इसके अलावा, इन संस्थाओं को किए गए दान की भी दानकर्ता की कर योग्य आय का परिकलन करने में कटौती के रूप में अनुमति है।

- इस समय, करदाता को कटौती का लाभ उठाने के लिए आयकर विवरण में दान लेने वाले का पूर्ण ब्यौरा देना अनिवार्य है।

- दान के लिए कटौती का दावा करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए, दानप्राप्त कर्ता द्वारा प्रस्तुत दानों की सूचना के आधार पर करदाता की विवरणी में दानकर्ता की पूर्व सूचना देने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे करदाता द्वारा किए गए दान के लिए कटौती का दावा करना आसान होगा।

- इसके अलावा, कर छूट का दावा करने के लिए धर्मार्थ संस्थाओं को आयकर विभाग के साथ पूंजीकरण करना होता है. विगत में, पूंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः हस्तचालित होती थी और देशभर में फैली हुई थी।

- नई और मौजूदा धर्मार्थ संस्थाओं के लिए अनुपालन की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए, मैं पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णरुप से इलैक्ट्रानिक करने का प्रस्ताव करती हूँ जिसके अंतर्गत सभी नई और मौजूदा धर्मार्थ संस्थाओं को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जारी की जाएगी। इसके अलावा, उन नई धर्मार्थ संस्थाओं जिन्होंने अपनी धर्मार्थ गतिविधियां आरंभ नहीं की हैं, के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए, मैं उन्हें तीन वर्षों के लिए अनन्तिम पंजीकरण की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ।

124. फेसलेस अपीलें

हमारी सरकार रूपांतरणकारी परिवर्तन लाने के प्रति वचनबद्ध है ताकि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप से अधिकतम अभिशासन प्रदान किया जा सके। निर्धारण प्रक्रिया में अधिक कार्यदक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नई फेसलेस निर्धारण स्कीम पहले ही आरंभ की जा चुकी है। इस समय, विवरण का प्रस्तुतीकरण, विवरणियों की प्रोसेसिंग, धन वापसी तथा निर्धारण जैसे आयकर विभाग के अधिकांश कार्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना इलेक्ट्रानिक मोड में निष्पादित किए जाते हैं। आयकर विभाग द्वारा आरंभ किए गए सुधारों को अगले स्तर पर ले जाने तथा मानवीय हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए, मैं आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूँ ताकि फेसलेस निर्धारण की तर्ज पर फेसलेस अपील की जा सके।

125. 'विवाद से विश्वास' स्कीम

- महोदय, विगत में हमारी सरकार ने कर से संबंधित मुकदमेबाजी कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। पिछले बजट में, अप्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी कम करने के लिए सबका विश्वास स्कीम लाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1,89,000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। इस समय, विभिन्न अपीलीय मंचों अर्थात् आयुक्त (अपील)आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर संबंधी 4,83,000 मामले लंबित हैं। इस वर्ष, मैं प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष कर की सबका विश्वास की तरह एक स्कीम लाने का प्रस्ताव करती हूँ।

- प्रस्तावित 'विवाद से विश्वास' स्कीम के अंतर्गत करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है और उसे ब्याज और दंड से पूर्ण माफी मिलेगी बशर्ते वह 31 मार्च 2020 तक भुगतान करता हो। जो 31 मार्च 2020 के पश्चात् इस स्कीम का लाभ उठाने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह स्कीम 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी।

- जिन करदाताओं के अपील के मामले किसी स्तर पर लंबित हैं, वे इस स्कीम से लाभ उठा सकते हैं।

- मैं आशा करती हूँ कि करदाता मुकदमे की कष्टदायक प्रक्रिया से राहत पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे

126. विलयित बैंकों की हानियां

- वित्तीय क्षेत्र के समेकन के भाग के रूप में, हमारी सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय की योजनाएं लेकर आई है।

  यह सुनिश्चित करने के लिए कि समामेलित प्रतिष्ठान, समामेलित प्रतिष्ठानों की अंतर्लीन न की गई हानियों और मूल्यहास का लाभ उठा सकें, मैं, आयकर अधिनियम के उपबंधों में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूं।

127. करदाता चार्टर

- किसी भी कर प्रणाली में करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव होगा जब करदाताओं के अधिकार की स्पष्ट रूप से गणना की जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और आयकर की सुपुर्दगी प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लिए करदाता चार्टर को अपनाना अधिदेशित करने के लिए मैं, आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूं। चार्टर में निहित विषयों का ब्यौरा जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

128. आधार के द्वारा तुरन्त पैन

- पिछले बजट में, मैंनें पैन और आधार के परस्पर बदले जाने की संभावना लायी थी जिसके लिए आवश्यक नियम पहले ही अधिसूचित किए गए। पैन के आबंटन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए जल्दी ही हम एक प्रणाली शुरु करेंगे जिसके तहत विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने की किसी आवश्यकता के बगैर आधार के आधार पर तुरन्त ही ऑनलाइन पैन का आबंटन किया जाएगा।

129. हमारी सरकार 2017 में प्रत्यक्ष कर के ऐतिहासिक सुधार के रूप में जीएसटी लायी है। सितंबर 2019 में हमने कारपोरेट कर के सरलीकरण और यौक्तिकीकरण के अभूतपूर्व कदम भी उठाए हैं। इससे भी अधिक हमने कारपोरेट कर की ऐसी दर की पेशकश की, जो विश्व में संभवतः सबसे कम है। इस मार्ग पर चलते हुए हमने अब व्यैक्तिक आयकर को इसके सबसे कम दर पर रखा है और कंपनी के हाथों में डीडीटी को पूरी तरह हटा दिया है। इसके अतिरिक्त अब प्रत्यक्ष कर सबसे कम, सरल और निर्बाध है। स्टार्ट-अप्स पर प्रत्यक्ष कर में बहुत जल्दी-जल्दी बहुत से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। यहां तक कि अनुपालना आसान बनाने में भी अभूतपूर्व बदलाव किए जा रहे हैं। अंतिम बात यह है कि कर प्रशासन के साथ व्यक्तिगत अन्तरामुख सब से कम है।

अप्रत्यक्ष कर

130. जैसाकि मैंने अपने भाषण के भाग क में उल्लेख किया है, जीएसटी में सुधार जारी हैं। 1 अप्रैल, 2020 से सरलीकृत विवरणी का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस पर अभी प्रयोग किया जा रहा है। यह विवरणी फाइल करना सरल बनाएगा, इसकी विशेषताओं में शून्य विवरणी के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, विवरणी पूर्व फाइलिंग उन्नत इनपुट कर क्रेडिट प्रवाह और समग्र सरलीकरण हैं।

131. वापसी की प्रक्रिया सरल बनाई गई है और मानव अन्तरामुख के बिना इसे पूर्णतया स्वचलित किया गया है।

132. इलेक्ट्रोनिक इनवॉइस दूसरा नवोन्मेष है जिसमें केन्द्रीयकृत प्रणाली में महत्वपूर्ण सूचना जुटाई जाएगी। इसको वैकल्पिक आधार पर इसी महीने से शुरु करके चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इससे अनुपालना और विवरणी फाइलिंग सुसाध्य होगा।

133. अनुपालना में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। करदाताओं का आधार के अनुसार सत्यापन शुरु किया जा रहा है। इससे डमी या अस्तित्व में न रही यूनिटों को हटाने में सहायता मिलेगी। उपभोक्ता इनवॉइस के लिए गतिमान क्यूआर-कोड का प्रस्ताव है। जब क्यूआर-कोड के जरिए खरीद हेतु भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानदंडों को दर्शाया जाएगा। इनवॉइस की मांग करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। डीप डाटा एनालिटिकन और एआईटूल्स का जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट, वापसी और अन्य धोखा धड़ी का सफाया करने और उन लोगों को जो प्रणाली के साथ छल-कपट करने के प्रयास कर रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इनवॉइस और इनपुट कर क्रेडिट मैचिंग किया जा रहा है जहां 10 प्रतिशत या इससे अधिक बैमेल विवरणियां पाई जाती हैं। न्यूनतम सीमाओं की पहचान की जाती है और अनुशीलन किया जाता है। महत्वपूर्ण नीतिस्तर के परिवर्तन भी किए गए हैं। जीएसटी दर संरचना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है जिससे कि इनवर्टेड ड्यूटी संरचना जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

134. सीमाशुल्क के लिए व्यावसाय आसान बनाने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। सीमा पर भारत के व्यापार में प्रमात्रात्मक बढ़ोतरी, व्यवसाय करना आसान बनाने के मानदंड का विश्व बैंक द्वारा रैंकिंग इन प्रयासों का साक्ष्य है। इस मानदंड पर भारत का रैंक 2018 में 146वां से सुधरकर 80 पर आ गया और 2019 में और अधिक सुधरकर 68वां हो गया। हमारे घरेलू विनिर्माताओं, विशेषकर एमएसएमई सेक्टर और सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक समान कार्य क्षेत्र मुहैया कराने हेतु उपाय भी किए गए हैं।

135. यह देखा गया है कि मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के तहत आयात बढ़ रहे हैं। घरेलू उद्योग के लिए एफटीए लाभों के अनुचित दावे खतरा बन गए हैं। ऐसे आयात के लिए कड़ी जांच करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, सीमा शुल्क अधिनियम में उपयुक्त उपबंध समाहित किए जा रहे हैं। आगामी माह में, हम मूल उद्गम की आवश्यकताओं संबंधी नियमावली की समीक्षा करेंगे, विशेषकर कतिपय संवेदनशील मदों के लिए, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफटीए हमारी नीति की सचेतन दिशा के अनुरुप हैं।

136. कर्त्तव्यों के रक्षोपाय संबंधी उपबंधों को हम सुदृढ़ कर रहे हैं, जिन्हें आयात में अत्यधिक वृद्धि के कारण घेरलू उद्योग को गंभीर आघात पहुंचने पर लागू किया जाता है। संशोधित उपबंध व्यवस्थित रूप से आयात में अत्यधिक वृद्धि को विनियमित करने में समर्थ बनाएंगे। माल के पाटन को नियंत्रित करने और सब्सिडी प्राप्त माल के आयात के लिए उपबंधों को घरेलू उद्योग हेतु एक समान कार्य क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रथाओं की तर्ज पर किए जा रहे हैं।

137. जनहित में, समय-समय पर सीमाशुल्क से छूट दी गई है। तथापि, इनमें से अनेक का उपयोग अब नहीं हो रहा है या वे अप्रचलित हो चुके हैं। समीक्षा करने पर, ऐसी कतिपय छूटों को वापस लिया जा रहा है। शेष सीमा शुल्क छूटों की, उनकी प्रासंगिकता को देखने के लिए सितंबर 2020 तक व्यापक समीक्षा की जाएगी। ऐसी समीक्षाओं के लिए मैं क्राउड सोर्स सजेशन्स का प्रस्ताव रखती हूं। सीमाशुल्क विधानों और उन्हें बदलते समय तथा व्यावसाय करना आसान बनाने की आवश्यकता के अनुरुप बनाने के संबंध में सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे।

138. एमएसएमई में, श्रम गहन सेक्टर रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके विकास के लिए सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले आयात अड़चन हैं। ऐसे मदों के आयात पर नियंत्रण के उपाय करने के लिए ध्यान दिया गया है जिनका उत्पादन बेहतर गुणवत्ता के साथ हमारे एमएसएमई द्वारा किया जा रहा है। इस सेक्टर की आवश्यकता को देखते हुए फुटवियर और फर्नीचर जैसी मदों पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है।

139. हमारी मेक इन इंडिया नीति में लाभांश देना शुरु हो गया है। भारत अब विश्व स्तरीय माल बना रहा है और वैसे माल का निर्यात कर रहा है। हमने चिकित्सा उपकरणों में भी काफी प्रगति की है। कुछ वर्ष पहले तक चिकित्सा उपकरणों के लिए आयातों पर निर्भर रहे थे। अब, हम न केवल चिकित्सा उपकरण का विनिर्माण कर रहे हैं अपितु बड़ी मात्रा में उनका निर्यात भी कर रहे है। यह सेक्टर और अधिक बढ़ावा देने योग्य है। सरकार सबके लिए स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत ने इसे संभव बनाया है। घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संसाधन उत्पन्न करने के दोहरे उद्देश्य को हासिल करने के लिए, इस बात को देखते हुए कि अब ये माल भारत में काफी मात्रा में बनाए जा रहे हैं, मैं, चिकित्सा उपकरण के आयातों पर सीमाशुल्क के द्वारा मामूली स्वास्थ्य उपकर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। इस उपकर से प्राप्त आय का उपयोग महत्वकांक्षी जिलों में चिकित्सा सेवाओं के लिए अवसंरचना बनाने में किया जाएगा।

140. मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और इनके घटकों जैसी मदों के लिए सुनिर्धारित सीमाशुल्क दरों की पूर्व घोषणा की गई है। इससे भारत में घरेलू मूल्यवर्धन क्षमता में धीर-धीरे वृद्धि सुनिश्चित हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों, और मोबाइल के पार्टस पर ऐसी सावधानी पूर्वक बनाई गई चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं के भाग के रूप में, सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जा रहा है।

141. अन्य परिवर्तनों में, कतिपय निविष्टियों और कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है जबकि कतिपय माल पर इसे बढ़ाया जा रहा है, जिनकों देश के भीतर बनाया जा रहा है।

पिछले बजट में, न्यूज प्रिन्ट और हल्के कोटिड कागज पर 10% बुनियादी सीमा शुल्क लगाया गया था। तथापि, तब से, मैंने अनेक प्रसंग प्राप्त किया है कि इस लेवी से उस समय प्रिन्ट मीडिया पर अतिरिक्त भार पड़ा है जब यह कठिन दौर से गुजर रहा है। इसलिए मैं, न्यूज प्रिन्ट और हल्के कोटिड कागज के आयात पर बुनियादी सीमाशुल्क घटाकर 10% से 5% करने का प्रस्ताव करती हूं।

142. नीचले प्रयोक्ताओं के लिए रसायन महत्वपूर्ण फीड स्टॉक हैं। उदाहरण के लिए पीटीए वस्त्र रेशा और सूत के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि है। वस्त्र के क्षेत्र में अपार संभावना को भुनाने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इसकी सहज उपलब्धता वांछनीय है, जो एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजक है। इसलिए, सार्वजनिक हित में पीटीए पर पाटन रोधी शुल्क को समाप्त किया जा रहा है।

143. राजस्व उपायों के रूप में, मैं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा और आकस्मिक शुल्क के द्वारा उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। फिर भी, बीड़ी की शुल्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

144. अंततः कर सुधार को जारी रखना सतत चुनौती है और हम उसको पूरे जोश के साथ अनुसरण करने का प्रस्ताव करते हैं।

145. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मेरे बजट प्रस्ताव का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध में है।

अनुबंध I

महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बजट परिव्यय

(₹ करोड़)

क्र.सं.	नाम	ब.अ. 19-20	सं.अ. 19-20	ब.अ. 20-21
I	**महत्वाकांक्षी भारत**	**4,67,517**	**4,36,913**	**4,82,401**
क	कृषि एवं संभद्ध, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास	2,76,380	2,49,910	2,83,202
ख	आरोग्यता, जल, स्वच्छता	93,294	89,618	96,885
ग	शिक्षा एवं कौशल विकास	97,843	97,385	1,02,314
II	**आर्थिक विकास**	**2,23,695**	**2,24,941**	**2,37,604**
क	उद्योग एवं वाणिजय	27,043	28,608	27,227
ख	ऊर्जा	1,57,437	1,58,207	1,69,637
		39,215	38,127	40,740
III	**नई अर्थव्यवस्था**	**40,534**	**34,724**	**42,852**
क	सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	19,127	18,979	20,379
ख	संचार (भारत नेट)	8,350	3,000	8,000
ग	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	13,056	12,745	14,473
IV	**जिम्मेदार समाज**	**59,036**	**54,831**	**62,626**
क	महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण	50,850	48,210	53,876
ख	संस्कृति एवं पर्यटन	5,232	3,963	5,650
ग	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	2,955	2,658	3,100
V	**वित्तीय क्षेत्र**	**19,002**	**23,686**	**40,433**
क	बैंकिंग, बीमा, वित्तीय बाजार और अवसंरचना वित्त	19,002	23,686	40,433

अनुबंध II

महत्वपूर्ण योजनाओं को आबंटन

(₹ करोड़)

क्र.सं.	नाम	ब.अ. 19-20	सं.अ. 19-20	ब.अ. 20-21
1	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9,200	9,200	9,197
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	60,000	71,002	61,500
3	अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रैला योजना	5,445	5,568	6,242
4	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रैला कार्यक्रम	3,810	4,194	4,191
5	अल्प संख्यकों के विकास हेतु अम्ब्रैला कार्यक्रम	1,590	1,709	1,820
6	अन्य असुरक्षित समूहों के लिए अम्ब्रैला कार्यक्रम	1,818	1,846	2,210
7	राष्ट्रीय गंगा योजना	750	353	800
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19,000	14,070	19,500
10	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	25,853	25,328	27,500
11	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	10,001	10,001	11,500
12	स्वच्छ भारत मिशन	12,644	9,638	12,294
13	राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन	33,651	34,290	34,115
14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-समग्र शिक्षा	38,547	37,672	39,161
15	पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत	6,556	3,314	6,429
16	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	75,000	54,370	75,000
17	दीन दयाल अंत्योदया योजना राष्ट्रीय अजीविका मिशन-आजीविका	9,774	9,774	10,005
18	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	4,000	4,733	6,020
19	अम्ब्रैला एकीकृत बाल विकास योजना कार्य एवं कौशल विकास	27,584	24,955	28,557
20	स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	11,000	9,912	11,000

अनुबंध III

राज्यों और विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण

(₹ करोड़)

क्र.सं.	नाम	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
I.	**करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण**	**8,09,133**	**6,56,046**	**7,84,181**
II.	**अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें**	**54,581**	**57,344**	**73,275**
1.	एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	10,000	20,000	25,000
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए केन्द्रीय पूल संसाधन	392	380	407
3.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-अनुदान	4,500	3,000	4,000
4.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-ऋण	19,723	25,000	25,000
5.	पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	326	324	287
6.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबंध के तहत योजनाएं	2,321	2,321	1,199
7.	मांग के अंतर्गत विशेष सहायता-राज्यों का अंतरण	15,000	4,000	15,000
8.	मांग-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति को विशेष केन्द्रीय सहायता	1,074	1,074	1,172
9.	मांग-जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र को विशेष केन्द्रीय सहायता	1,245	1,245	1,210
III.	**वित्त आयोग अनुदान**	**1,20,466**	**1,23,710**	**1,49,925**
1.	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान-ग्रामीण निकाय	52,558	58,616	69,925
2.	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	23,359	25,843	30,000
3.	एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	10,344	10,938	20,000
4.	अंतरण पश्च राजस्व घाटा अनुदान	34,206	28,314	30,000
IV.	**राज्यों को कुल अंतरण ((I) + (II) + (III) को छोड़कर)**	**3,35,220**	**3,22,443**	**3,35,878**
1.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	2,92,003	2,83,057	2,95,269
2.	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत	42,076	38,227	39,451
3.	व्यय की अन्य श्रेणी के अंतर्गत (राजस्व)	1,033	1,055	1,066
4.	पूंजी अंतरण	109	104	93
V.	**दिल्ली और पुडुचेरी की कुल अंतरण**	**10,028**	**28,419**	**47,408**
1.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	2,026	1,999	5,603
2.	केन्द्रीय क्षेत्र के स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व)	89	222	299
3.	व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व)	7,613	25,972	41,355
4.	पूंजी अंतरण	300	225	150
	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण	**13,29,428**	**11,87,961**	**13,90,666**

अनुबंध IV

प्रमुख मंत्रालय/विभागों को आबंटन

(₹ करोड़)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
1	कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग	1,30,485	1,01,904	1,34,400
2	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	8,079	7,846	8,363
3	परमाणु ऊर्जा	16,926	17,426	18,229
4	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	1,940	1,857	2,122
5	उर्वरक विभाग	80,035	80,035	71,345
6	नागर विमानन मंत्रालय	4,500	3,700	3,798
7	वाणिज्य विभाग	6,219	7,219	6,219
8	औद्योगिक तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	5,675	6,490	6,606
9	डाक विभाग	11,299	12,398	15,525
10	दूरसंचार विभाग	27,338	23,350	66,432
11	उपभोक्ता मामले विभाग	2,272	2,050	2,300
12	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1,92,240	1,15,240	1,22,235
13	संस्कृति मंत्रालय	3,042	2,547	3,150
14	रक्षा सेवा (राजस्व)	2,01,902	2,05,902	2,09,319
15	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	1,03,394	1,10,394	1,13,734
16	रक्षा पेंशन	1,12,080	1,17,810	1,33,825
17	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	3,000	2,670	3,049
18	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,902	1,810	2,070
19	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6,654	5,839	6,899
20	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2,955	2,658	3,100
21	विदेश मंत्रालय	17,885	17,372	17,347
22	आर्थिक कार्य विभाग	14,312	15,952	29,308
23	वित्तीय सेवा विभाग	4,690	7,734	11,125
24	राजस्व विभाग	1,02,048	1,22,066	1,36,640
25	ब्याज अदायगियां	6,60,471	6,25,105	7,08,203
26	पेंशन	48,565	50,565	61,169
27	राज्यों को अंतरण	1,55,447	1,55,447	2,00,447
28	मत्स्य पालन विभाग	805	700	825
29	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	2,932	2,790	3,289
30	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,197	1,043	1,233
31	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	62,659	62,659	65,012
32	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,900	1,950	2,100
33	लोक उद्यम विभाग	23	23	23

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
34	गृह मंत्रालय	4,896	19,955	8,002
35	लदाख	...	...	5,958
36	जम्मू और कश्मीर को अंतरण	...	...	30,757
37	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	48,032	42,267	50,040
38	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	56,537	56,537	59,845
39.	उच्चतर शिक्षा विभाग	38,317	38,317	39,467
40.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	4,375	4,065	4,375
41.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	8,245	7,518	8,960
42.	पेय जल और स्वच्छता विभाग	20,016	18,360	21,518
43.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	11,184	11,184	12,065
44.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	7,011	7,011	7,572
45.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	4,700	4,700	5,029
46.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5,255	3,892	5,753
47.	पंचायती राज मंत्रालय	871	500	901
48.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	42,901	42,901	42,901
49.	विद्युत मंत्रालय	15,875	15,875	15,875
50.	रेल मंत्रालय	68,019	69,967	72,216
51.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83,016	83,016	91,823
52.	ग्रामीण विकास विभाग	1,17,647	1,22,649	1,20,147
53.	भू-संसाधन विभाग	2,227	1,900	2,251
54.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	5,580	5,481	6,302
55.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2,580	2,381	2,787
56.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4,896	4,883	5,385
57.	पोत परिवहन मंत्रालय	1,903	1,523	1,800
58.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	2,989	2,531	3,002
59.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	8,885	8,885	10,104
60.	निःशक्त व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग	1,205	1,100	1,325
61.	अंतरिक्ष विभाग	12,473	13,139	13,479
62.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,231	5,231	5,444
63.	वस्त्र मंत्रालय	4,831	4,831	3,515
64.	पर्यटन मंत्रालय	2,189	1,416	2,500
65.	जनजाति मामले मंत्रालय	6,895	7,340	7,411
66.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	29,165	26,185	30,007
67.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	2,217	2,777	2,827

अनुबंध V

अतिरिक्त बजटीय और अन्य संसाधन से संबंधित विवरण (सरकार द्वारा पूर्ण रूप से शोधित बांड, एनएसएसएफ आदि)

भाग-क - सरकार द्वारा पूरी तरह से शोधित बांडों के निर्गमन के जरिए जुटाई गई ईबीआर *(₹ करोड़)*

मांग सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम तथा योजना का नाम	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
42.	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**			
	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	5,000.00	2,700.00	3,000.00
57.	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**			
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी	20,000.00	10,000.00	10,000.00
59.	उच्चतर शिक्षा विभाग			
	उच्चतर शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुनरुद्धार (राइज)	5,000.00	1,000.00	3,000.00
61.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग			
	(i) पोलावरम सिंचाई परियोजना	—	1,85.00	
	(ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एआईबीपी एवं अन्य परियोजनाएं)	4,882.00	3,033.96	5,000.00
62.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय			
	(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	5,000.00	5,000.00	0.00
	(ii) जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	6,300.00	2,000.00	12,000.00
70.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
	प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	822.00	500.00	1,000.00
77.	विद्युत मंत्रालय			
	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य	9,000.00	8,500.00	5,500.00
85.	ग्रामीण विकास विभाग			
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण	—	10,000.00	10,000.00
90.	पोत परिवहन मंत्रालय			
	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरुण (आईडब्ल्यूएआई) परियोजनाएं	1,000.00	—	—
जोड़:		**57,004.00**	**44,583.96**	**49,500.00**

भाग- ख - एनएसएसएफ से ऋणों के जरिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम/निकाय का नाम	ब.अ. 2019-20	सं.अ. 2019-20	ब.अ. 2020-21
1.	**खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग**	—	1,10,000.00	1,36,600.00
	भारतीय खाद्य निगम			
2.	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**	—	15,000.00	—
	भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी)			
3.	**उर्वरक विभाग**			
	(i) राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	—	1,805.00	—
	(ii) धातु एवं खनिज व्यापार निगम	—	1,310.00	—
	जोड़:	**—**	**1,28,115.00**	**1,36,600.00**
	कुल जोड़ (क + ख)	**57,004.00**	**1,72,698.96**	**1,86,100.00**

टिप्पणियां:

(i) सं.अ. 2019-20 और ब.अ. 2020-21 में दर्शाए गए अनुसार एनएसएफएफ के जरिए वित्तीय सहायता का अनुमान इन वर्षों के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रस्तावित निधियों (वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में एनएसएसएफ ऋणों की चुकौती सहित) के लिए कुल आवश्यकता और सं.अ. 2019-20 और ब.अ. 2020-21 में किए गए बजटीय प्रावधान के बीच अंतर के आधार पर लगाया गया है।

(ii) **सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूँजी प्रदान करना:** सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी विनियामक पूँजी, वर्धित पूँजी और त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) को वांछनीय स्तरों पर बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए उनके पूँजाकरण के लिए 2017-18 में 80,000 करोड़ रुपए और 2018-19 में 1,06,000 करोड़ रुपए की सीमा तक पूँजी प्रदान की गई थी। इस प्रयोजनार्थ, 2019-20 में भी 70,000 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल, एक नियत कूपनधारक भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिए पूँजी प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष में, अब तक सरकार की नई पूँजी के रूप में 64,612 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध वरुाई गई है।

(iii) वार्षिकी परियोजनाओं के संबंध में देयता का विवरण प्राप्ति बजट 2020-21 के भाग - ख में दिया गया है।

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

1. कर प्रोत्साहन

1.1 वैयक्तिक आय-कर में राहत और कराधान का सरलीकरण: राहत पहुँचाने और कराधान व्यवस्था का सरलीकरण करने के उद्देश्य से, व्यष्टि और हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब यदि विनिर्दिष्ट छूटों/कटौतियों को प्राप्त नहीं करता है तो उन्हें निम्नलिखित अपेक्षाकृत कम दरों पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है:

कुल आय (₹)	दर (%)
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5
5,00,001 से 7,50,000 तक	10
7,50,001 से 10,00,000 तक	15
10,00,001 से 12,50,000 तक	20
12,50,001 से 15,00,000 तक	25
15,00,000 से ऊपर	30

अधिभार और उपकर मौजूदा दरों पर लगने जारी रहेंगे।

1.2 सहकारी समितियों के लिए राहत और सरलीकरण: राहत देने और कराधान व्यवस्था के सरलीकरण के उद्देश्य से, सहकारी समितियां यदि कतिपय विनिर्दिष्ट कटौतियों/छूटों को प्राप्त नहीं करती हैं, तो उनपर 22% जमा 10% अधिभार जमा 4% उपकर के अनुसार कर लगाने का विकल्प उन्हें दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इन सहकारी समितियों को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट दी जाए।

1.3 विदेशी निवेश के लिए कर रियायत: अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) की पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी कंपनी सहित सॉवरेन धन निधि के निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, न्यूनतम 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ और अवसंरचना सेक्टर अथवा अन्य पात्र अधिसूचित सेक्टरों में 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए निवेश के संबंध में, कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सॉवरेन धन निधि तथा एडीआईए की पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी कंपनी के ब्याज, लाभाश और पूंजी लाभ से हुई आय को कर छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

1.4 लाभांश वितरण कर समाप्त करना: वर्तमान में, लाभांश वितरित करने वाली कंपनी के लाभांश पर कर लगाया जाता है। यह अन्यायकारी पाया गया। शेयरधारकों के लाभांश पर कर लगाने की पारंपरिक प्रणाली पर लौटने का प्रस्ताव किया जाता है।

1.5 आईएफएससी, म्युनिसिपल बांड और विदेशी उधारों के लिए प्रोत्साहन: विदेशों से लिए गए उधारों के लिए वर्तमान में धारा 194ठग और 194ठघ के अंतर्गत उपलब्ध पांच प्रतिशत की रियायती दर पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की व्यवस्था 30 जून, 2023 तक और तीन वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव किया जाता है। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2020 तक या उसके बाद किन्तु 01 जुलाई, 2023 से पहले लिए गए नए विदेशी उधारों पर विदहोल्डिंग दर को चार प्रतिशत पर रखा जाए, जो किसी भी आईएफएससी में स्थित अभिज्ञात स्टॉक एक्सचेंज में ही सूचीबद्ध हो।

1.6 सस्ते आवासन को प्रोत्साहन: सम्प्रति, सस्ता आवास खरीदने के लिए 31 मार्च, 2020 तक स्वीकृत ऋणों पर अदा किए गए ब्याज के लिए एक लाख पचास हजार रुपये तक की अतिरिक्त कटौती अनुमत है। सस्ते आवास की खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऋण स्वीकृति की तारीख 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है। अतः यह कटौती 31 मार्च, 2021 तक स्वीकृत आवास ऋणों के संबंध में भी उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त, देश में सस्ते आवासों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 31 मार्च, 2020 तक अनुमोदित सस्ते आवास परियोजना के विकासकों द्वारा अर्जित लाभों पर कर अवकाश प्रदान किया गया। सस्ते आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सस्ते आवास परियोजनाओं के अनुमोदन की तारीख बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 तक अनुमोदित सस्ते आवास परियोजनाओं के विकासक भी कर अवकाश प्राप्त कर सकते हैं।

1.7 रियल एस्टेट सेक्टर को रियायत: वर्तमान में, अचल सम्पत्ति के अंतरण के संबंध में जहां प्रतिफल सर्किल दर से कम है, आय का परिकलन के लिए 5% तक राशि सुरक्षित रखनी अनुमत है। आवास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस राशि को बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव किया जाता है।

1.8 स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन: स्टार्ट-अप के कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) प्रदान करते हुए अपेक्षाकृत कम वेतन पर अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मचारियों को नियोजित करने के लिए स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टार्ट-अप्स द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई इन एसओपी पर कर भुगतान पांच वर्ष अथवा कर्मचारी द्वारा कंपनी छोड़ने अथवा उक्त कर्मचारी द्वारा उन शेयरों को बेचने तक, जो भी पहले हो, स्थगित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

बड़े स्टार्ट-अप्स को कर अवकाश का लाभ देने के लिए, कर अवकाश का दावा करने हेतु न्यूनतम कारोबार को ₹25 करोड़ से ₹100 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अलावा, स्टार्ट-अप्स जिन्हें इस अवकाश को प्राप्त करने के लिए आरंभिक वर्षों में पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है, उनकी चिंताओं के निराकरण के लिए, 100% कटौती का दावा करने के लिए पात्रता की अवधि मौजूदा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव किया जाता है।

1.9 अगले लाभ से हानि-पूर्ति या कतिपय आमेलनों में मूल्यह्रास अनुमत करना: यह सुनिश्चित करने के लिए कि आमेलित सरकारी क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनियां अनावशोषित हानियों और आमेलित इकाइयों के मूल्यह्रास का लाभ ले सकें, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के उपबंधों में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

1.10 "व्यापार न्यास" की परिभाषा को व्यापक बनाना: असूचीबद्ध अवसंरचना निवेश न्यास (इन्वआईटी) अथवा स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) को प्रोत्साहित करने के लिए, असूचीबद्ध आरईआईटी और इन्वआईटी को वही कराधान व्यवस्था देने का प्रस्ताव किया जाता है जो सूचीबद्ध इन्वआईटी और आरईआईटी को दी जाती है।

1.11 इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को छूट: तीन वर्ष के भीतर कच्चे तेल की पुनःपूर्ति की शर्त के अध्यधीन इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसरण में अपनी भण्डारण सुविधा में रखे गए कच्चे तेल की पुनःपूर्ति की व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत अथवा सृजित आय के संबंध में इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है।

1.12 विद्युत उत्पादक कंपनियों के लिए रियायती कर दर: विद्युत सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त कार्पोरेट कर की रियायती 15% दर विद्युत उत्पादन में कार्यरत उन नई घरेलू कंपनियों को इस शर्त के अध्यधीन देने का प्रस्ताव किया जाता है कि वे विद्युत उत्पादन 31 मार्च, 2023 तक करना प्रारंभ कर देंगी।

2. कर निश्चितता प्रदान करने के उपाय

2.1 सेफ हार्बर नियमों का दायरा बढ़ाना तथा उन्नत कीमत निर्धारण करार: स्थायी स्थापना (पीई) को लाभ सौंपने के मामले में करदाताओं को कर निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से, यह व्यवस्था करते हुए कि पीई को लाभ देने का निर्धारण सेफ हार्बर व्यवस्था (एसएचआर) और उन्नत कीमत निर्धारण करार (एपीए) के दायरे के अंतर्गत भी किया जाएगा, एपीए और एसएचआर का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।

2.2 बीमा कंपनियों को कटौती का औचित्यस्थापन: यह प्रस्ताव किया जाता है कि सांविधिक देयताओं कि विलंब से अदायगी के लिए बीमा कंपनियों को खर्च करने के अनुमति नहीं दी गई थी, उसकी अनुमति भुगतान करने करने के वर्ष में देने का प्रस्ताव किया जाता है।

2.3 स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दर में कटौती: मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए, तकनीकी सेवाओं (व्यवसायिक सेवाओं से अन्य) के लिए शुल्कों के मामले में टीडीएस के लिए दर मौजूदा दस प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि टीडीएस और कार्य संविदा की दर एकसमान हो जाए।

2.4 विवाद से विश्वास स्कीम: प्रत्यक्ष कर संबंधी मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए एक स्कीम लाने का प्रस्ताव है। यह स्कीम 30 जून, 2020 तक खुली रहेगी। करदाता जिनके मामले में किसी भी स्तर पर अपीलें लम्बित है; वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। स्कीम के तहत, करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा और कोई भी ब्याज तथा शास्ति नहीं देनी पड़ेगी, बशर्ते कि वे 01 अप्रैल, 2020 से पहले भुगतान कर दें। विवादित कर से असंबद्ध विवादित शास्ति, ब्याज और शुल्क के लिए, विवाद का निपटान करने के लिए करदाता को केवल 25% राशि अदा करना आवश्यक होगा यदि स्कीम के अंतर्गत, भुगतान 01 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात किया गया है तो करदाता को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

3. कर आधार को व्यापक बनाना और उसका सघनीकरण

3.1 ई-कॉमर्स संव्यवहारों पर टीडीएस: कराधार को व्यापक और सघन करने के उद्देश्य से, पैन/आधार वाले मामलों में 1% की दर से और पैन/आधार रहित मामलों में 5% की दर से ई-कॉमर्स ऑपरेटर सभी भुगतानों पर अथवा ई-कॉमर्स प्रतिभागियों को ऋणों पर टीडीएस काटने का प्रस्ताव किया गया है। छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए व्यष्टि और एचयूएफ जो ₹5 लाख से कम राशि प्राप्त करता है, द्वारा पैन/आधार प्रस्तुत करने पर उसको छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है।

3.2 ब्याज पर टीडीएस का दायरा बढ़ाना: कतिपय बड़ी सहकारी सोसायटियां जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में सकल प्राप्तियां ₹पचास करोड़ से अधिक हैं, को अदायगी पर ब्याज पर टीडीएस काटने का प्रस्ताव किया जाता है।

3.3 टीसीएस का दायरा बढ़ाना: भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण स्कीम के अंतर्गत वर्ष में सात लाख रुपये से अधिक राशि विप्रेषित करने पर और विदेशी यात्रा पैकेज की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) की व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विक्रेता, जिसका कारोबार ₹10 करोड़ से अधिक है, द्वारा वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य के सामान की बिक्री करने पर भी टीसीएस का प्रस्ताव किया जाता है।

3.4 कतिपय निधियों में नियोक्ता द्वारा अंशदान की छूट की सीमाः मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधि और राष्ट्रीय पेंशन निधि में नियोक्ता द्वारा कर छूट प्राप्त अंशदान पर वर्ष में ₹सात लाख और पचास हजार की ऊपरी सीमा कर्मचारियों के खाते में लगाने का प्रस्ताव किया जाता है।

4. कर प्रशासन की प्रभावकारिता में सुधार

4.1 फेसलेस अपीलः निर्धारण प्रक्रिया में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से नई फेसलेस निर्धारण स्कीम की शुरूआत पहले ही हो चुकी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली से मानव अंतरापृष्ठ समाप्त कर विभाग द्वारा शुरू किए गए सुधारों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, फेसलेस निर्धारण की तर्ज पर फेसलेस अपील की शुरूआत करने के लिए समर्थकारी अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

4.2 विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) का दायरा बढ़ानाः सभी अनिवासियों को पात्र निर्धारिती के रूप में सम्मिलित करते हुए डीआरपी के संदर्भों का दायरा बढ़ाने तथा यह स्पष्ट करने के लिए कि सभी वैभिन्नय जो निर्धारिती के प्रतिकूल हैं, डीआरपी के दायरे के भीतर होंगे, डीआरपी के संदर्भों का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।

4.3 करदाता का चार्टरः आयकर विभाग की सुपुर्दगी प्रणाली की दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया जाता है कि सीबीडीटी करदाता के चार्टर को अंगीकार करे और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निदेश जारी करे।

4.4 फेसलेस निर्धारण के दायरे में संशोधनः उन मामलों को सम्मिलित करने के लिए, जिनमें निर्धारण एकपक्षीय रूप से पूरा किया जा रहा है, फेसलेस निर्धारण का दायरा संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

5. अनुपालन की सुगमता

5.1 कर लेखापरीक्षा के लिए सीमा बढ़ानाः लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए, अनिवार्य कर लेखापरीक्षा के लिए न्यूनतम कारोबार की सीमा मौजूदा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का प्रस्ताव उस मामले में किया जाता है जिनमें नकद प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के 5% से अधिक नहीं है और नकद भुगतान कुल भुगतानों के 5% से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त, अनुपालन लागत में कटौती करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट कर विवरणी दायर करने की देय तारीख से एक माह पहले दायर हो। तदनुसार, आयकर विवरणियों को दायर करने की उक्त देय तिथि संगत निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर से बदलकर 31 अक्तूबर किया

जाना प्रस्तावित है ताकि कर लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने की तारीख में कोई परिवर्तन न हो।

5.2 <u>अनिवासी को कतिपय शर्तों पर आयकर विवरण प्रस्तुत करने से छूट देना:</u> अनिवासियों का अनुपालन का भार कम करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि धारा 115क में दिए गए दर पर कर की कटौती की गई हो, तो तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी अथवा शुल्क के रूप में प्राप्त उनकी आय पर आयकर विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी जाए।

6. आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों का यौक्तिकीकरण

6.1 यह प्रस्ताव किया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को प्रदान की जाने वाली कतिपय परिलब्धियों और भत्तों पर दी जाने वाली छूट समाप्त की जाए।

6.2 पण्य लेनदेन कर को आरोपित करने के प्रयोजनार्थ 'करयोग्य पण्य लेनदेन' की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।

6.3 फेसलेस दंड के लिए स्कीम अधिसूचित करने हेतु केन्द्र सरकार को समर्थ बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।

6.4 सर्वेक्षण प्रचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि यदि सर्वेक्षण निर्धारित प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित नहीं है, तो आयकर आयुक्त अथवा प्रधान आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

6.5 यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि आयकर अपीलीय अधिकरण मांग पर तभी रोक लगाएगा जब करदाता ने मांग की राशि के 20 प्रतिशत का भुगतान किया हो अथवा समतुल्य राशि के लिए प्रतिभूति प्रदान की हो।

6.6 भारत में निवासी बनने के लिए भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारत में रहने की अवधि 182 दिन से घटाकर 120 दिन किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। तत्पश्चात "निवासी किन्तु साधारण निवासी नहीं" के उपबंध में ढील देने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि पिछले दस वर्षों में से सात वर्षों में अनिवासी रहने वाले निवासी साधारण निवासी हो सके। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव किया

जाता है कि कोई भारतीय नागरिक जो कहीं भी कर अदायगी नहीं करता है, उसे भारतीय निवासी माना जाएगा।

6.7 यह उपबंध करने के लिए धारा 194ग के अंतर्गत टीडीएस के प्रयोजनार्थ "कार्य" की परिभाषा में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है कि संविदा विनिर्माण में, निर्धारिती अथवा उसके सहयोगी द्वारा प्रदान की गई कच्ची सामग्री धारा 194 ग के अंतर्गत "कार्य" की सीमा में आएगी।

6.8 करदाताओं को जीएसटी में असत्य निविष्टि क्रेडिट का दावा करने के लिए जाली बीजकों सहित असत्य प्रविष्टियां दर्ज करके उनके बही-खातों में धोखाधड़ी करने में हतोत्साहित करने के लिए, इन अपव्यवहारों के लिए दंड का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

6.9 उस उपबंध में संशोधन करने का प्रावधान किया जाता है जिसके तहत भारत को आधारभूत ह्रास और लाभ अंतरण (सामान्यतः एमआईएल के रूप में जाना जाता है) से बचने के लिए कर करार से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन द्वारा अधिदेशित नई प्रस्तावना का पालन करने के लिए अन्य देशों या संघ राज्यों या संघ के साथ दोहरे कराधान परिवर्जन करार (डीटीएए) पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि भारत ने पहले ही एमआलआई का समर्थन किया है।

6.10 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उल्लेखनीय आर्थिक उपस्थिति (एसईपी) के अधिनियमन को आस्थगित करने का प्रस्ताव किया जाता है क्योंकि उस समय तक डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित जी-20 ओईसीडी की रिपोर्ट आने की प्रत्याशा है। भारतीय ग्राहकों को लक्ष्य बनाकर विज्ञापन से राजस्व प्राप्त करने के लिए और भारतीय लोगों से लिए गए आकड़ों की बिक्री से राजस्व के लिए स्रोत नियम के लिए उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

6.11 सेबी के नए एफपीआई विनियमनों के अनुरूप विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अप्रत्यक्ष अंतरण के उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है। रायल्टी की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

6.12 धारा 115खकक और धारा 115खकख के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि रियायती कर अवधि का चयन करने वाली किसी भी घरेलू कम्पनी (मौजूदा और नई दोनों) को उक्त धारा के अंतर्गत विशिष्ट रूप से कटौती की

अनुमति दिए जाने को छोड़कर, इस अधिनियम के अध्याय VI-क के अंतर्गत किसी कटौती का दावा करने की अनुमति न दिया जा सके।

6.13 विदेशी निधि स्थापित करने के शर्तों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि भारत में निधि प्रबंधन क्रियाकलाप स्थापित करना सरल हो सके।

6.14 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी पूँजीगत आस्ति, चाहे वह भूमि हो अथवा भवन अथवा दोनों, के मामले में, 1 अप्रैल, 2001 को उस आस्ति का उचित बाजार मूल्य, जहां स्टाम्प शुल्क मूलय उपलब्ध हो, 1 अप्रैल, 2001 को उस आस्ति के स्टैम्प शुल्क मूल्य से अधिक नहीं होगा।

6.15 न्यासों, संस्थाओं, निधियों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों आदि के पंजीकरण की प्रक्रिया और संगठन, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान या कम्पनी आदि के मामले में अनुमोदन युक्तिसंगत बनाने का प्रास्ताव किया जाता है। दान प्राप्तकर्ता द्वारा दान का विवरण फाइल करने के लिए भी उपबंध का प्रस्ताव किया जाता है ताकि दानकर्ता दावा किए गए कटौती का अपना समयपूर्व कर विवरणी भर सके।

6.16 फॉर्म 26एएस को उपयुक्त धारा में लाकर उसे भरने से संबंधित उपबंध को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है क्योंकि अब उसमें अनेक प्रकार की सूचनाएं होती हैं।

6.17 पृथकृत पोर्टफोलियों उस पोर्टफोलियों को धारण करने वाले करदाताओं को स्पष्टता प्रदान करने के लिए अभिधारण की लागत और धारण की अवधि से संबंधित उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।

6.18 उन व्यक्ति को विहित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने का प्रस्ताव किया जाता है जो किसी कम्पनी और एक सीमित देयता सहभागी के मामले में आयकर विवरणी सत्यापित कर सके। ऐसे व्यक्ति को विहित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने का भी प्रावधान किया जाता है जो एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में पेश हो सके।

6.19 घरेलू कम्पनियों द्वारा नई रियायती कर शासन का चयन करना सरल बनाने के लिए, धारा 35कघ के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि धारा 35कघ के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए एक विकल्प मुहैया कराया जा सके।

6.20 धारा 94ख के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने के लिए, धारा 94ख के अंतर्गत ब्याज कटौती नियम से भारत में अनिवासी बैंक की किसी शाखा के ब्याज भुगतान को हटाने का प्रास्ताव किया जाता है।

बजट भाषण का अनुबंध

क. सीमा शुल्कों में विधायी परिवर्तन

1. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में प्रमुख संशोधनः

क्रम सं.	संशोधन
क.	**अनुपालन में सुधार लाने के लिए**
1.	व्यापार करारों के तहत तरजीही प्रशुल्क उपचार को प्रशासित करने के लिए समर्थकारी उपबंध का प्रावधान करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय Vकक (एक नई धारा 28घक) समाविष्ट की जा रही है। प्रस्तावित नई धारा का उद्देश्य आयातक पर विशेष रूप से कतिपय बाध्यताओं का प्रावधान करना और शंका के मामले में निर्यातक देश से समयबद्ध सत्यापन निर्धारित करना है। लंबित सत्यापन तर्जीही प्रशुल्क उपचार निलंबित कर दिया जाएगा और अंतर परक शुल्क के समतुल्य प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर ही माल क्लियर किया जाएगा। कतिपय मामलों में, आगे सत्यापन के बिना तर्जीही प्रशुल्क उपचार से इनकार किया जा सकता है।
ख.	**मुकदमेबाजी कम करने के लिए**
1.	पूर्ण रूप से यह स्पष्ट करने के लिए धारा 28 में स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जा रहा है। कि वित्त अधिनियम, 2018 के अधिनियमन से पहले उक्त धारा के अधीन जारी किया गया कोई भी नोटिस धारा 28 द्वारा अभिशासित किया जाता रहेगा जैसाकि यह उक्त अधिनियम से पहले किया जाता रहा है भले ही इसके विपरीत किसी अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय अधिकरण, न्यायालय या किसी अन्य कानून द्वारा आदेश जारी किया गया है।
ग.	**अन्य समर्थकारी उपबंध**
1.	धारा 11(2) का खंड (च) केन्द्रीय सरकार को स्वर्ण या चांदी के अनियंत्रित आयात या निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था को क्षति की रोकथाम के लिए उनके आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। इस खंड के दायरे में "किसी अन्य माल" स्वर्ण और चांदी के अतिरिक्त को शामिल करने के लिए इसका संशोधन किया जा रहा है।
2.	सीमा शुल्क प्रणाली में इलेक्ट्रानिक शुल्क क्रेडिट बही के सृजन प्रावधान करने के लिए एक नई धारा (धारा 51ख) समाविष्ट की जा रही है। इससे निर्यातों या ऐसे लाभों के संबंध में इनके इलेक्ट्रानिक रूप में प्रयोग या अंतरण के लिए शुल्क विप्रेषण के स्थान पर शुल्क क्रेडिट किए जाने का प्रावधान होगा। इस संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 157(2) में उपयुक्त विनियम के निर्गमन हेतु समर्थकारी उपबंध भी अंतःस्थापित किए जा रहे हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28ककक के तहत उपबंधित शुल्कों की वसूली के लिए उपबंधों का भी ऐसे इलेक्ट्रानिक शुल्कों के क्रेडिट को जोडने के लिए विस्तार किया जा रहा है।

2. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधनः

क्रम सं.	संशोधन
क	**सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन**
1.	सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख, जिसमें किसी पण्य के आयातों में अत्यधिक वृद्धि के विपरीत व्यापार संबंधी उपचार के रूप में सुरक्षा उपाय शुल्क के अधिरोपण का उपबंध था, उसे संशोधित किया जा रहा है ताकि प्रशुल्क दर कोटा और अन्य सुरक्षा उपाय संबंधी उपाय जैसे अन्य सुरक्षा उपायों की अनुप्रयोज्यता हेतु उपबंध किए जा सकें जिन्हें केन्द्रीय सरकार आयातों में अत्यधिक वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को हानि से संरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे।
ख.	**सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन**
1.	सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची को निम्न के लिए संशोधित किया जा रहा हैः (i) "वालफैन" के लिए नई प्रशुल्क मद 8414 51 50 सृजित करना। इस मद के लिए प्रशुल्क दर 20 प्रतिशत है और वालफैनों पर बीसीडी को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। (ii) "ओपन सेल और टेलीविजन सेट" के लिए नई प्रशुल्क मद 8529 90 30 सृजित करना। इस मद के लिए प्रशुल्क दर 15 प्रतिशत है। तथापि, इन मदों पर 'शून्य' बीसीडी जारी रहेगी। (iii) "सोलर सेलों, जो असेम्बल्ड नहीं" के लिए प्रशुल्क मदें 85 41 40 11 और "मॉड्यूलों में असेम्बल्ड या पैनलों में बनाए गए सोलर सेलों के लिए प्रशुल्क मद 8541 40 12 सृजित करना। इन मदों के लिए प्रशुल्क दर 20 प्रतिशत है। तथापि, इन मदों पर 'शून्य' बीसीडी जारी रहेगी।

3. समतुल्य शुल्क नियमावली और प्रतिपाटन शुल्क नियमावली में संशोधनः

इन नियमावलियों में सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं के आयातों के मामले में और ऐसी वस्तुओं जिनसे घरेलू उद्योग को हानि होती हो, के पाटन के मामले में जांच-पड़ताल के तरीके और प्रक्रिया का प्रावधान है। इन नियमावलियों में निम्नलिखित संशोधन किए जा रहे हैंः

क्र.सं.	नियमावली	संशोधन
1.	**प्रतिपाटन नियमावली**	इस नियमावली को सर्वोत्तम अंतराष्ट्रीय परिपाटी के अनुरूप प्रतिपाटन शुल्क की सभी प्रकार की प्रवंचनाओं का ध्यान रखने के लिए इसे और अधिक व्यापक बनाकर तथा दायरे का विस्तार करके प्रवंचनारोधी उपायों को सुदृढ़ करने के लिए इसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन नियमों के दायरे में स्पष्टता लाने के लिए इन नियमों में कतिपय अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं।
2.	**समतुल्य शुल्क नियमावली**	वर्तमान में, समतुल्य शुल्कों की प्रवंचना के मामले में जांच पड़ताल हेतु कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे शुल्क के समर्थकारी अधिरोपण के लिए समतुल्य शुल्क की प्रवंचना के मामले में जांच पड़ताल में समर्थ बनाने के लिए समतुल्य शुल्क नियमावली में एक उपबंध समाविष्ट किया जा रहा है। इन नियमों में स्पष्टता लाने के लिए कतिपय अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं।

ख. कतिपय आयातित वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क छूट की समीक्षा

1. निरर्थक, पुरानी अप्रचलित अथवा अपनी उपयोगिता खो चुकी प्रविष्टियों को छांटने के लिए सीमा शुल्क छूट की समीक्षा की गई है। ऐसी समीक्षा पर, संगत अधिसूचनाओं के उपयुक्त संशोधन/निरसन द्वारा 80 छूटे वापस ली जा रही हैं। ये छूटें हैं- समीक्षा उन्मुख होने के चलते, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित वस्तुओं पर छूट/रियायती दरें वापस लिया जाना शामिल है, नामतः

क्र.सं.	वस्तुओं की श्रेणी	विशिष्ट वस्तुएं
1.	**कृषि और पशु आधारित उत्पाद**	टूनावेट, दूध और कतिपय मिल्क उत्पाद, चीनी, चुकन्दर के बीज, खांड, कतिपय मादक पेय और एकाकी सोया प्रोटीन, सोया फाइबर आदि।
2.	**धातु की वस्तुएं**	क. लेड की छड़ें, राड और तार ख. जस्ते की ट्यूब, पाइप और ट्यूब ग. टिन की प्लेटें, चादरें और पत्तियां
3.	**यंत्र**	विनिर्दिष्ट विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, विनिर्दिष्ट मेट्रो परियोजनाओं जैसी कतिपय परियोजनाओं, अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में प्रयोग के लिए आयातित यंत्र; सड़क निर्माण के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट वस्तुएं।
4.	**इलेक्ट्रानिक वस्तुएं**	विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त तांबा और उससे निर्मित सामान; प्रिंटर, सीडी राइटर, एमपी 3 या एमपी4 या एमपीईजी4 प्लेयर, प्री-रिकार्डेड कैसेटों, आडियो कैसेटों, रंगीन टेलीविजन ट्यूबों आदि के विनिर्माण हेतु कल-पुर्जे।
5.	**विविध**	क. पीनट बटर, संरक्षित आलू ख. इंस्टेंट प्रिंट फिल्म, एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफिक फिल्में ग. कुछ निरर्थक और पुरानी सीमा शुल्क छूटें वापस ली जा रही हैं। इसके अलावा, कुछ छूटें प्रासंगिकता के लिए संरेखित की जा रही हैं।

ग. एमएसएमई के लिए स्तरीय कार्यक्षेत्र के सृजन और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तनः

1. घरेलू उत्पादकों के लिए स्तरीय कार्यक्षेत्र

निम्नलिखित वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा हैः

क्र.सं.	वस्तुओं की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मदें	शुल्क दर	
			पहले	अब
1.	**घरेलू सामान और उपकरण**	पोर्सलेन या चीनी, सेरेमिक, मिट्टी, लौह, स्पात, तांबे और एल्यूमिनियम के टेबलवेयर और रसोई के बर्तन, कांच के बर्तन, पैड लौक्स, झाड़ू, हाथ की छलनी, कंघे, बेकम फ्लास्क, आदि	10%	20%

क्र.सं.	वस्तुओं की	विनिर्दिष्ट मदें	शुल्क दर	
2.	**विद्युत उपकरण**	पंखे, फूडग्राइंडर/मिक्सर, सेवर और बाल हटाने वाले उपकरण, पानी के हीटर, बाल/हाथ सुखाने वाले उपकरण, ओवन, कुकर, टोस्टर, काफी/चायदानियां, इंसेक्ट रेपिलेंट, हीटर, आयरन, आदि ।	10%	20%
3.	**जूते**	क. जूते ख. जूतों के पार्टस	25% 15%	35% 20%
4.	**फर्नीचर का सामान**	सीटें, वेडिंग, गद्दों सहित, की वस्तुएं, लैम्प, लाइटिंग, प्रकाशवान चिह्न, और अन्य फर्नीचर के सामान।	20%	25%
5.	**लेखन सामग्री**	फाइलिंग कैबिनेट, पेपर ट्रे, बाइंडर, क्लिप, स्टेपल्स, साइन-प्लेट्स, नाम पट्टिकाएं, बेस धातु से निर्मित संख्याएं और प्रतीक आदि।	10%	20%
6	**खिलौने**	तिपहिया साइकिलें, स्कूटर, स्केल मॉडल, डॉल्स आदि।	20%	60%
7.	**यंत्र**	क. उच्च वोल्टेज विद्युत पारेषणा परियोजनों में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट वस्तुएं ख. रेलवे कैरिज पंखे ग. रेफरीजरेटरों और एयर कंडीशनरों के कंप्रेशर घ. वाणिज्यिक फ्रीजर ड. बेल्डिंग और प्लाज्मा कटिंग मशीन च. रोटरी टिलर/वीडर	5% 7.5% 10% 7.5% 7.5% 2.5%	7.5% 10% 12.5% 15% 10% 7.5%
8.	**अन्य विविध वस्तुएं**	क. कांच की मालाएं ख. कृत्रिम फूल ग. घंटियां, गोंग, मूर्तियां, ट्राफियां और इसी प्रकार के सामान, बेस धातु की मूर्तियां, आभूषण, फोटोग्राफ, फ्रेम, शीशे आदि।	10%	20%

2. विद्युतचालित वाहनों और सेल्युलर मोबाइल फोनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अंतर्गत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन

क.	**विद्युतचालित वाहनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा शुल्क में परिवर्तन**	**शुल्क दर**	
		पहले	**अब**
1.	बस और ट्रकों की पूरी तरह से निर्मित यूनिटें (01.04.2020 से)	25%	40%
2.	बस, ट्रक और दोपहितया वाहनों की सेमी नोक्ड डाउन (एसकेडी) यूनिटें (01.04.2020 से)	15%	25%

क.	विद्युतचालित वाहनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा शुल्क में परिवर्तन	शुल्क दर	
		पहले	अब
3.	यात्री वाहनों और तिपहिया वाहनों की सेमी नोक्ड डाउन (एसकेडी) यूनिटें (01.04.2020 से)	15%	30%
4.	यात्री वाहनों और तिपहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों, बस और ट्रकों की पूरी तरह से नोक्ड डाउन (सीकेडी) यूनिटें (01.04.2020 से)	10%	15%
ख.	सेल्युलर मोबाइल फोनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा शुल्क में परिवर्तन		
1.	मोबाइल फोनों के पीसीबीए (01.04.2020 से)	10%	20%
2.	सेल्युलर मोबाइल फोनों के वाइब्रेटर/रिगर (01.04.2020 से)	शून्य	10%
3.	डिस्प्ले पैनल और टच असेम्बली (01.10.2020 से)	शून्य	10%

3. इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट मदें	शुल्क दर	
		पहले	अब
1.	सिंगल फेज एसी मोटरों, स्टेपर मोटरों, वाइपर मोटरों आदि जैसी मोटरें	7.%	10%
2.	विशिष्ट चार्जर और पावर अडाप्टर	लागू दर	20%
3.	सेल्यूलर मोबाइल फोनों में उपयोग के लिए फिंगरप्रिंट रीडर	शून्य	15%
4.	इयरफोन और हेडफोन	लागू दर	15%

4. घरेलू विनिर्माताओं द्वारा आयातित कच्ची सामग्री और इनपुट पर सीमा शुल्क में कमी

क्र.सं.	इनपुट/कच्ची सामग्री की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मदें	शुल्क दर	
			पहले	अब
1.	**रसायन, प्लास्टिक और रबड़**	220-400 सीएसटी स्टैण्डर्ड/मैरीन फ्यूल 0.5 प्रतिशत (एफओ) में आईएसओ 8217:2017 आरएमजी 380 विस्कोसिटी पूरा करने वाला अति निम्न सल्फर फ्यूल ऑयल	10%	शून्य
		कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक	10%	7.5%
		स्मार्ट कार्डों के विनिर्माण में प्रयुक्त कैलेण्डियर्ड प्लास्टिक सीटें।	10%	5%
		कनेक्टर्स के विनिर्माण में प्रयोग के लिए पोलिस्टर लिक्विड क्रिस्टल पोलिमर	7.5%	शून्य

क्र.सं.	इनपुट/कच्ची सामग्री की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मदें	शुल्क दर	
			पहले	अब
2.	**कीमती धातुएं**	निम्न के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लेटिनम या पैलेडियमः (क) सभी वस्तुएं, नोबल मैटल कंपाउंड और नोबल मैटल सोल्यूशन सहित (ख) सक्रिय पदार्थ के रूप में कीमती धातु या कीमती धातु यौगिकों के साथ कैटेलिस्ट	12.5%	7.5%
		स्पेंट कैटेलिस्ट या ऐस वाली कीमती धातु, विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन	12.5%	11.85 %
3.	**यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक सामान**	माइक्रोफोन के विनिर्माण में प्रयोग हेतु माइक्रोफोन के निम्नलिखित कलपुर्जे अर्थात क) माइक्रोफोन कार्टेज ख) माइक्रोफोन होल्डर ग) माइक्रोफोन ग्रिल घ) माइक्रोफोन बॉडी	10%	शून्य
		माइक्रो-फ्यूज बेस, सब-मिनियेचर फ्यूज बेस, माइक्रो-फ्यूज कवर और माइक्रो-फ्यूज तथा सब-मिनियेचर फ्यूज के विनिर्माण में सब-मिनियेचर फ्यूज कवर।	7.5%	शून्य
4.	**खेल का सामान**	पिछले वित्त वर्ष में आयातित खेल के सामान के एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत तक अनुमत शुल्क मुक्त आयात वस्तुओं की सूची में विल्लो को जोड़ा जा रहा है।	लागू दर	शून्य
5.	**न्यूजप्रिंट**	क) न्यूजप्रिंट, जब रजिस्ट्रार और न्यूजपेपर, इंडिया के पास पंजीकृत आयातक द्वारा आयात किया जाए। ख) न्यूजपेपर के मुद्रण के लिए प्रयुक्त अनकोटेड पेपर, जब रजिस्ट्रार और न्यूजपेपर, इंडिया के पास पंजीकृत आयातक द्वारा आयात किया जाए। ग) पत्रिकाओं की छपाई के लिए प्रयुक्त हल्का कोटेड पेपर अंतिम उपयोग की शर्त के अध्यधीन	10%	5%

5. सीमा शुल्क में अन्य परिवर्तन

क्र.सं.	सामान की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मदें	शुल्क दर	
			पहले	अब
1.	**खाद्य प्रसंस्करण**	अखरोट, बिना छिले	30%	100%

क्र.सं.	सामान की श्रेणी	विनिर्दिष्ट मदें	शुल्क दर	
			पहले	अब
2.	**रसायन, प्लास्टिक और कांच**	कोलाइडल कीमती धातुएं, कीमती धातु के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक, कीमती धातुओं का मिश्रण	7.5%	10%
		बुटिल एक्रीलेट	5%	7.5%
		फाउंड्री मोल्ड या कोर के लिए अन्य तैयार बाइंडर; रसायनयुक्त उत्पाद और रसायन या संबद्ध उद्योगों की प्रिपरेशन	10%	15%
3.	**आटो और आटो पार्टस**	कैटेलेटिक कनवर्टर	10%	15%
		कैटेलेटिक कनवर्टर और इसके पुर्जों के निर्माण में प्रयुक्त नोबल मेटल सोल्यूशन और नोबल मेटल यौगिक	5%	लागू दर
		कैटेलेटिक कनवर्टर और इसके पुर्जे	5%	लागू दर
		कैटेलेटिक कनवर्टरों के विनिर्माण के लिए कल पुर्जे और अन्य विशिष्ट सामग्री	5%	7.5%
		वाणिज्यिक वाहनों (विद्युत वाहनों को छोड़कर) की पूरी तरह से निर्मित यूनिटें (सीबीयू) (01.04.2020 से)	30%	40%

घ. विनिर्दिष्ट चिकित्सा उपस्करों पर स्वास्थ्य उपकर लगाया जाना

चिकित्सा उपकरणों के आयात पर 5 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य उपकर लगाए जाने का प्रस्ताव है। यह स्वास्थ्य उपकर एक सीमा शुल्क होगा। स्वास्थ्य उपकर ऐसे चिकित्सा उपकरणों पर लागू नहीं होगा जिन्हें बीसीडी से छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामान/पुर्जों को भी स्वास्थ्य उपकर से छूट प्राप्त होगी। स्वास्थ्य उपकर का उपयोग स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

ड. प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड पर प्रतिपाटन शुल्क का प्रतिसंहरणः

निम्नलिखित में उत्पन्न होने वाले या आयात किए जाने वाले प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का प्रतिसंहरण;

1. दक्षिण कोरिया और थाइलैण्ड पर अधिसूचना संख्या 28/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24.7.2019 के तहत अधिरोपित
2. चीन, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान पर अधिसूचना संख्या 28/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5.7.2016 के तहत अधिरोपित

च. सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) में वृद्धि

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, वित्त अधिनियम, 2001 की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कतिपय विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है। तम्बाकू निर्मित उत्पादों (बीड़ी को छोड़कर) एनसीसीडी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. सिगरेटों पर, सिगरेट की लंबाई के आधार पर और फिल्टर/फिल्टर-भिन्न आधार पर 200-735 रुपये प्रति हजार के हिसाब से एनसीसीडी बढ़ाया जा रहा है।

2. पाइप और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिक्सचरों पर, एनसीसीडी 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है।

3. पीने वाली तम्बाकू के अन्य रूपों (पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान के लिए मिक्सचरों को छोड़कर) तथा खाने वाली ताबाकू के रूपों पर, एनसीसीडी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है।

4. बीडियों पर एनसीसीडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

छ. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबंधों में शामिल परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव:

क्र.सं.	**केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में संशोधन**
क	**व्यापार या उपभोक्ता की सुविधा के लिए**
1.	निविष्ट कर क्रेडिट का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ डेबिट नोट निर्गमन की तारीख को अंतर्निहित बीजक निर्गमन की तारीख से अलग करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) संशोधित की जा रही है।
2.	धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वैच्छिक रूप से प्राप्त किए गए पंजीकरण को निरस्त करने का प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) को संशोधित किया जा रहा है।
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 1 का परंतुक उपयुक्त मामलों में पंजीकरण के निरसन को वापस लेने के आवेदन की तारीख बढ़ाने हेतु न्यायाधिकारिक कर प्राधिकरणों को अधिकार प्रदान करने के लिए अंतःस्थापित किया जा रहा है।
4.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 में कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र की निर्गमन की आवश्यकता समाप्त करने; तथा टीडीएस प्रमाणपत्र के निर्गमन में विलंब होने पर विलंब शुल्क के तदनुरूपी उपबंध का लोप करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
5.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 का संशोधन किया जा रहा है ताकि न्यायाधिकारिक आयुक्त को धारा 66 की उप-धारा (5) और धारा 243 की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

क्र.सं.	**केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में संशोधन**
ख.	**अनुपालन में सुधार लाने के लिए**
1.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 को संशोधित किया जा रहा है ताकि निम्नलिखित कार्य में लगे कतिपय श्रेणियों में कर योग्य व्यक्तियों को कंपोजीशन स्कीम के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जा सकेः- (i) सीजीएसटी अधिनियम के तहत कर अनुद्ग्रहणीय सेवाओं की आपूर्ति, अथवा (ii) सेवाओं की अंतर-राज्य बाहरी आपूर्ति, अथवा (iii) किसी ई-कार्मस आपरेटर्स के माध्यम से सेवाओं की बाहरी पूर्ति
2.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 को कपटपूर्ण आदान कर क्रेडिट पारित करने अथवा प्राप्त करने संबंधी संव्यवहारों के लाभार्थी को वैसी ही शास्ति का उत्तरदायी बनाने के लिए एक नई उपधारा अंतःस्थापित करके संशोधित किया जा रहा है जैसी शास्ति उस व्यक्ति पर उदग्रहणीय होती है जो ऐसे विनिर्दिष्ट अपराध करता हो।
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 को संशोधित किया जा रहा है ताकि निविष्टि कर क्रेडिट को बिना किसी बीजक या बिल के धोखाधड़ी से प्राप्त करने के अपराध को ढ्ढसै–र्द्वैक्र जमानती अपराध घोषित किया जा सके या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपराध करता है या अपराध होने का कारण बनता है, या इन अपराधों से होने वाले लेनदेनों के लाभ को अपने पास रखता है, सजा का हकदार बनाया जा सके।
ग.	**अन्य परिवर्तन**
1.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (114) में ''संघ राज्य क्षेत्रष की परिभाषा संशोधित की जा रही है ताकि जम्मू और मश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 तथा दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 को लागू करने के विचार से संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषा का अद्यतन किया जा सके। यूटीजीएसटी अधिनियम में भी परिणामी परिवर्तन किए जा रहे हैं।
2.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 को कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति के मामले में बीजकों के निर्गमन का तरीका निर्धारित करने हेतु समर्थकारी उपबंध का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण हेतु उपबंध लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
4.	संक्रमणात्मक क्रेडिट लेने के लिए तरीका और समय-सीमा निर्धारित करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 को 01.07.2017 से संशोधित किया जा रहा है।
5.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 172 को संशोधित किया जा रहा है ताकि अन्य दो वर्षों अर्थात उक्त अधिनियम की शुरूआत से लेकर पांच वर्षों तक के लिए कठिनाइयों को दूर करने संबंधी आदेश के निर्गमन के लिए उपबंध किया जा सके। इसी तरह के परिवर्तन आईजीएसटी अधिनियम 2017 (धारा

क्र.सं.	केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017/संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में संशोधन
	25) यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 धारा (26) और जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (धारा 14) में भी किए जा रहे हैं।
6.	सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची -II में 4(क) और 4(ख) की प्रविष्टियों में भी 01.07.2017 से संशोधन किया जा रहा है ताकि उक्त अधिनियम की अनूसूची-II से बिना किसी प्रतिफल के बनाई गई व्यापारिक आस्तियों के अंतरण से संबंधित आपूर्तियों के लोप का प्रावधान किया जा सके।

जीएसटी कानूनों प्रस्तावित परिवर्तन राज्यों और विधानमण्डल वाले केन्द्रीय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पारित इसी प्रकार के अधिनियमों में साथ-साथ तदनुरूप संशोधनों के साथ, यथासंभव उस तारीख से प्रभावी होंगे जब उन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

ज. जीएसटी परिषद की संस्तुतियों को प्रभावी बनाने के लिए पूर्वव्यापी संशोधन

क्र.सं.	माल और सेवा कर दर तथा रिफंड संबंधी उपबंधों में पूर्वव्यापी संशोधन
1.	मत्स्याहार (एचएस2301) पर केन्द्रीय कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर से 01.07.2017 से 30.09.2019 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान की जा रही है। तथापि, इस अवधि के दौरान मत्स्याहार की आपूर्ति पर प्रदत्त जीएसटी लौटाया नहीं जाएगा।
2.	पुली, व्हील्स और अन्य पार्टस (शीर्षक 8483 के अंतर्गत आने वाले और शीर्षकों 8432, 8433 और 8436 के कृषि मशीनरी के भाग के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं पर 01.07.2017 से 31.12.2018 तक की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत की रियायती दर पर एकीकृत कर और 6 प्रतिशत केन्द्रीय कर तथा 6 प्रतिशत संघ राज्य क्षेत्र कर लगाया जाना। तथापि, किसी अन्य दर पर (12 प्रतिशत से अधिक) चुकाया गया जीएसटी लौटाया नहीं जाएगा।
3.	क्षतिपूर्ति उपकर में इनवर्टेड शुल्क संरचना के कारण उत्पन्न तम्बाकू उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर के संचित क्रेडिट की वापसी अधिसूचना संख्या 3/2019-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) तारीख 30.09.2019 द्वारा अनुमत नहीं है। इस अधिसूचना को 01.07.2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा रहा है। तदनुसार, तम्बाकू से संबंधित उत्पादों पर किसी भी अवधि के लिए इनवर्टेड शुल्क संरचना के कारण कोई भी राशि लौटाई नहीं जाएगी।

बजट प्रस्तावों की अधिक जानकारी के लिए, व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा अन्य बजट संबंधी दस्तावेज देखें।